रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2003/ज्येष्ठ 2, 1925
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2003/JYAISTHA 2, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2003

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय :—चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रीन विनीयर टेप के भारत में आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/50/2002-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:-

क. ***प्रक्रिया***

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i) उपरोक्त नियमों के तहत, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से मै. वाटरप्रूफ कॉरपोरेशन प्रा.लि. द्वारा दायर की गई याचिका प्राप्त हुई जिसमें चीनी ताइपेई (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित ग्रीन विनीयर टेप के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन की प्रारंभिक जांच में उसमें कुछ कमियां पाई गई थीं जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा बाद में सुधार दिया गया था । अतः याचिका को उचित रूप से प्रलेखित माना गया था ।

iii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों की जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने से पूर्व नई दिल्ली स्थित चीनी ताइपेई के ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र को पाटन का आरोप प्राप्त होने के बारे में सूचित किया था ।

iv) प्राधिकारी ने चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए दिनांक 27.12.2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

v) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

vi) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उनसे नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तिथि से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने के लिए कहा गया ।

vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी)तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआई एंड एस) कोलकाता से जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

viii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातक तथा संबद्ध देश के दूतावासों/उच्चायोगों/व्यापार संगठनों को उपलब्ध कराई । अगोपनीय याचिका की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराई गई थी ।

ix) नियम 6(2) के अनुसार चीनी ताइपेई के आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र को याचिकाकर्ता के अगोपनीय रूपान्तरण की प्रति जांच प्रारंभ करने की अधिसूचना की प्रति और निर्यातक प्रश्नावली भेजते हुए इस अनुरोध के साथ जांच प्रारंभ करने की सूचना दी गई थी कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय में प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कहें ।

x) नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी:

1. मै. एफ यू टी ए फिजिकल एंड केमिकल कं. लि., ताइवान
2. मै. चुंग आई टेप कं. लि.

xi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना के लिए संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थीः

1. मै. गनी कमर्शियल कं., कोलकाता
2. मै. किरन ट्रेडिंग कं., कोलकाता
3. मै. सेन्चुरी प्लाइबोर्ड्स(इंडिया) लि0, कोलकाता
4. मै. विनिकाम प्राडक्ट्स प्रा. लि. कोलकाता
5. मै. नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि0, कोलकाता
6. मै. किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि0, कोलकाता
7. मै. यूनाइटेड टिंबर इंडस्ट्रीज, कोलकाता
8. मै. मालपानी विनीयर्स (प्रा.) लि., कच्छ (गुजरात)
9. मै. लकी वुड प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. थाणे
10. मै. तिनसुकिया प्लाइवुड प्रा. लि., पटियाला
11. मै. कॉम्पैक्ट प्लाई बोर्ड नई दिल्ली
12. मै. निताशा विनीयर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. विशाखापत्तनम
13. एवरग्रीन विनीयर प्रा.लि. विशाखापत्तनम
14. मै. आंध्र वुड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., विशाखापत्तनम
15. मै. तिरमाला बोर्ड्स आर आर डिस्ट्रिक्ट
16. मै. एशिया टिंबर प्रोडक्टस प्रा.लि. अंडमान
17. मै. द मैसूर चिपबोर्डर्स लि0, मैसूर
18. मै. नेशनल बोर्डर्स केरल
19. मै. कनाचूर सीजनिंग इंडस्ट्रीज, मंगलौर
20. मै. डेक्कन विनीयर प्रा. लि. विशाखापत्तनम
21. मै. आंध्र टिंबर प्रोडक्ट्स लि., विशाखापत्तनम

xii) दिनांक 17.3.2003 तक निम्नलिखित आयातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना दायर कर दी गई थी,

1. मै. च्यूर ज्यूवे इंटरप्राइज कं.लि.,

xiii) दिनांक 17.3.2003 तक निम्नलिखित आयातका/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना दायर की गई थाः

1. मै. गनी कमर्शियल कं. कोलकाता
2. मै. किरन ट्रेडिंग कं. कोलकाता
3. मै. चायस प्लाई प्रा.लि. विशाखापत्तनम
4. मै. रूसाका प्लाई इंडिया लि0, गाँधीधाम
5. मै. मयूर विनीयर एंड प्लाइवुड इंडस्ट्रीज, कोलकाता

6. मै. किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि0
7. द ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मुंबई
8. मै. आकाश विनीयर्स प्रा.लि., मुंबई
9. मै. विनीकॉम प्रोडक्ट्स प्रा.लि. कोलकाता
10. मै. तिरूपति विनीयर्स प्रा. लि., विशाखापत्तनम
11. मै. सुप्रीम वुड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., कोलकाता
12. मै. लैंडमार्क विनीयर प्रा.लि., गॉधीधाम
13. मै. रतनवुड प्रा.लि., गॉधीधाम
14. मै. सेंचुरी प्लाइबोर्डस (इंडिया)लि., कोलकाता
15. मै. आंध्र वुड प्रोडक्टस प्रा.लि. विशाखापत्तनम
16. मै. तिरूमाला बोर्डस, हैदराबाद

xiv) याचिकाकर्ताओं से क्षति संबंधी सूचना मांगी गई थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत भी कर दिया गया था । निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों के क्षति संबंधी मापदंड प्रस्तुत किए गए थेः-

1. मै. वाटरप्रूफ कॉरपोरेशन प्रा.लि. मुंबई

xv) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश, सार्वजनिक फाइल, के रूप में उपलब्ध रखे और प्राधिकारी द्वारा उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा जांच के लिए खुला रखा गया ।

xvi) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में सबद्ध वस्तु को बनाने एवं बिक्री करने का लागत निकालने के लिए लागत जांच भी की गई थी । निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों के लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए गए एवं उनका विश्लेषण किया गयाः-

1. मै. वाटरप्रूफ कारपारेशन प्रा.लि., मुंबई

xvii) याचिकाकर्ता से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जिसे प्रस्तुत कर दिया गया था;

xviii) इस अधिसूचना में **** चिह्न किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसा ही माना गया है ।

xix) यह जांच 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक अथवा जांच अवधि के लिए की गई थी ।

(xx) फिक्की, सी आई आई, एसोचैम को भी व्यापक परिचालन के लिए जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतिलिपियां

(xxi) जांच प्रारंभ संबंधी अधिसूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सी आई आई, एसोचेम आदि को भी भेजी गई थीं ।

(xxi) जांच प्रारंभ संबंधी अधिसूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सी आई आई, एसोचेम आदि को भी भेजी गई थीं ।

ख. ***निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार***

याचिकाकर्ता के विचार

i) विचाराधीन उत्पाद ग्रीन विनीयर टेप (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है।इसे गम्ड पेपर रीलों के नाम से भी जाना जाता है जिसे मुख्यतः जम्बो रोल्स में आयात किया जाता है । इसे लट्ठों से विनीयर शीट्स के विनिर्माण में उत्पादन सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है और लट्ठों को छीलते समय किनारे मोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है ।

ii) यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै. वाटरप्रूफ कॉरपोरेशन प्रा.लि. द्वारा दायर की गई है । इस याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन विचाराधीन संबद्ध वस्तु का 100% बनता है ।

iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रीन विनीयर टेप तथा संबद्ध देश से आयातित ग्रीन विनीयर टेप भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद निर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनात्मक हैं । ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है ।

iv) याचिकाकर्ता संबद्ध देश में ग्रीन विनीयर टेप की कीमतों के बारे में उचित एवं प्रामाणिक साक्ष्य अथवा निर्यातकों की अपने घरेलू बाजार में बिक्री या भारत से भिन्न देशों में निर्यात के लिए कीमत सूची प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं ।

v) सामान्य मूल्य का परिकलन संबद्ध वस्तु के उत्पादन की विधिवत समायोजित अनुमानित लागत के आधार पर किया गया ताकि उसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे तथा ताइवान के लिए उचित लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके ।

vi) देश में कुल मांग की तुलना में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी 2000-2001 में 37.56% से घटकर जांच अवधि के दौरान 32.05% हो गया है ।

vii) पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात 2000-2001 में- 24.36% से जांच अवधि के दौरान पर्याप्तः बढ़कर 209.69% हो गया है ।

viii) देश में कुल मांग की तुलना में संबद्ध देश से आयात भी वर्ष 2000-2001 में 62.44% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 67.95% हो गए हैं ।

ix) यह तथ्य कि जांच अवधि के दौरान 2384640 वर्ग मीटर के पाटित आयात भारत में हुए, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि उसने अपने संभावित ग्राहक खो दिए ।

x) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में मात्रा के रूप में जांच अवधि में वृद्धि हुई थी । किन्तु निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि मात्रा के रूप में उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान 63% से अधिक उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त बनी रही ।

xi) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा की गई बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई । यह देखा जाएगा कि वर्ष 2000-2001 की कीमत की तुलना में जांच अवधि में उद्योग कीमत को प्राप्त नहीं कर रहा है । संबद्ध देश से हुए आयातों का कीमतों पर दबाव के कारण घरेलू उद्योग उचित कीमत प्राप्त करने में अथवा आय की उचित दर प्राप्त करने में असमर्थ रहा है ।

xii) याचिकाकर्ताओं की वस्तु सूचियां मार्च 2001 के अंत में 41730 वर्ग मी. से बढ़कर 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 64748 वर्ग मी. हो गई हैं जो कि याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के लगभग 5.64% से भी अधिक हैं ।

xiii) पिछले दो वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता के रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

IV. मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि ये श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है। याचिकाकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार मजदूरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

XV. घरेलू उद्योग के पास अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए अपनी कीमतों की अलाभकारी स्तर तक घटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

XVI. उद्योग घाटे में चल रहा है और इसलिए घरेलू उद्योग अपने निवेशों पर कोई आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है।

XVII ताइवान से विचाराधीन उत्पाद को पहुंच मूल्य संबद्ध वस्तु की बिक्रियों पर घरेलू उद्योग द्वारा वसूल की जाने वाली कीमतों से काफी कम है। कम कीमत पर बिक्री के इस उच्च स्तर का घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

XVIII. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रभाव इस तथ्य से और प्रबल हो गया है कि केवल संबद्ध वस्तु ही कम कीमतों पर नहीं बेची जा रही है बल्कि संबद्ध देशों के निर्यातक कीमत कटौती भी कर रहे हैं। जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों का पहुंच मूल्य(अर्थात सीआईएफ कीमत जमा सीमा शुल्क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पर लगातार दबाव है कि वे अपनी कीमतें चालू कीमतों से भी कम कर दें जो जैसा पहले बताया है, लाभकारी नहीं है।

XIX सतत रूप से पाटित आयातों के कारण उद्योग की ऋणात्मक आय के चलते घरेलू उद्योग इस तथ्य के बावजूद भी कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उनके पास अधिशेष क्षमता है, राष्ट्र हित में विकास करने की स्थिति में नहीं है।

XX वास्तविक क्षति जो पहले ही घरेलू उद्योग को उठानी पड़ी है के साथ ही आयातों

से घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा भी बना हुआ है। यह 49.45% की उच्च सीमा तक अत्यधिक कीमत कटौती से स्पष्ट है। भारी कीमत कटौती और इसके साथ इस देश के उत्पादकों के पास अधिक वृहत निपटान क्षमताएं इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका का स्पष्ट साक्ष्य है।

"वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और न कि केवल आरोप, अनुमानों या सूदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जो ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं, जिसमें पाटन द्वारा क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दृष्टव्य एवं आसन्न होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और:-

(क) भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर जिससे आयातों में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की संभावना का संकेत मिलता है।

(ख) निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान या क्षमता में आसन्न, भारी वृद्धि जिससे किसी अतिरिक्त निर्यात ग्रहण करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना का संकेत मिलता है।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू उद्योग पर पर्याप्त कमी या ह्रासकारी प्रभाव है, और जिससे आगे और आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना है और

(घ) जांचाधीन वस्तु की भण्डार सूची।

XXI वर्तमान मामले में ग्रीन विनीयर टेप के आयातों में अचानक उछाल आया है तथा यदि कीमत कटौती का वर्तमान रूख जारी रहता है तो इनके आगे और बढ़ने की संभावना है। संबद्ध देश के पास मुक्त रूप से पर्याप्त निपटान क्षमता है।

ग्रीन विनीयर टेप के बाजार पर कीमत कटौती का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है जिसके चलते घरेलू उद्योग की अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए उक्त कीमतों से बराबरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

XXII उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि चीनी ताईपेई से संबद्ध उत्पाद के पाटन के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे घरेलू उद्योग को पहले ही वास्तविक क्षति हुई है और जिससे सतत रूप से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा हुआ है।

2. आयातक/प्रयोक्ताओं के विचार

मै0 रतन वुड प्रा0 लि0,

(i) यद्यपि टेपों का मूल्य बहुत कम है फिर भी ये हमारे आयात एवं संसाधन हेतु लाग्स के कुल आयातों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विनियर टेपों की बर्बादी से विनीयर बनाने के लिए गिराए

गए तथा आयतित पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएंगी। इससे हमारे देश से मुल्यवान विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन में वृद्धि होती है और पाटन रोधी शुल्क लागू करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए समग्र रूप से हानिकारक होगा। यह नोट करना चाहिए कि हमारे द्वारा उत्पादित संपूर्ण वीनियर का विनिर्माण पूर्ण रूप से बर्मा, मलेशिया एवं इंडोनेशिया आदि से आयातित लकड़ी (पेड़ के तनों) से होता है।

(ii) ग्रीन विनीयर टेप को पीलिंग के समय एक स्वचालित यंत्र से गीले विनीयर की ऊपरी सतह तथा दोनों किनारों पर लगाया जाता है। एक प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण लट्ठे गुणवत्ता में समान नहीं होतें हैं, इसीलिए याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित टेप भी गुणवत्ता में अत्यधिक असमान होते हैं यह वीनियर पर चिपकाने लायक नहीं है परिणामस्वरूप विनीयर में टूट-फूट होती है और इस प्रकार लकड़ी की बर्बादी होती है, जो कि आज वैश्विक संसाधनों का एक बहुमूल्य भाग है। याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई टेप केवल कम से पर्याप्त नमी/रेजिन वाले विनीयर के लिए बहुत अच्छी है जबकि हमारे ज्यादातर उत्पादन में लकड़ी की किस्म एवं विनीयर की मोटाई के कारण पर्याप्त से उच्च नमी वाले विनीयर प्रयोग किए जाते हैं।

(iii) याचिकाकर्ता को पाटनरोधी शुल्क लागू करवाने का मार्ग अपनाने के बजाय भारतीय उत्पादकों द्वारा विनिर्माण की जा रही लकड़ी की गुणवत्ता की मांग का पूरा करने के लिए अपनी गुणवत्ता में बदलाव लाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता ग्रीन विनीयर टेप्स क्षेत्र में नया है, इसलिए उसे भारतीय विनियर विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित टेप्स की किस्मों के उत्पादन में सुधार करना तथा सीखना चाहिए।

मै0 लेंडमार्क विनीयर प्रा0 लि0, गांधीधाम

(i) याचिकाकर्ता द्वारा हाल में शुरू किया गया ग्रीन विनीयर टेप्स आम तौर पर सामान्य से कम रेजिन वाले अच्छी गुणवत्ता के विनीयर पर चिपकता है लेकिन ये उच्च नमी/रेजिन मात्रा वाले विनीयर पर नहीं चिपकता है। उपरोक्त के अलावा उनकी टेप गुणवत्ता में अत्यधिक असमान है क्योंकि ग्लू की परत अत्यन्त दोषपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप ये टेप चिपकने वाली जगह पर नहीं चिपकती है।

(ii) इस तथ्य के कारण कि कम नमी/रेजिन धारिता से अधिक उच्च नमी/रेजिन धारिता के आवरणों को छीलते समय हम सामान्यतः 38 मिमी मोटाई के आवरणों के चार पृष्ठीय परत छीलते हैं और इस प्रकार छीले गये लकड़ियों के लट्ठों की प्रजातियों में यह गुण है उपर्युक्त के कारण याचिकाकर्ता के टेप्स को प्रयोग करने के मूल कारण को अस्वीकृत किया गया है क्योंकि उनके टेप्स हमारे कारखाने में छीले किए विनीयर की किस्म के लिए उपयुक्त नहीं है।

मै0 सुप्रीम वुड प्रोडक्टस लि0, कोलकाता

(i) चूंकि ग्रीन विनीयर टेप्स का प्रयोग लकड़ी (ट्री ट्रंक्स) पर किया जाता है जिसका आयात मलेशिया,बर्मा और इंडोनेशिया जैसे देशों से किया जाता है इसलिए घटिया किस्म के टेप्स का प्रयोग करने से देश में लकड़ी के कुल घन मीटर आयात में वृद्धि हो जाएगी। इससे हमारे देश से डालरों के निवल बहिर्गमन में वृद्धि होगी क्योंकि याचिकाकर्ता के टेप को प्रयोग करने से लकड़ी के निवल प्राप्ति योग्य उत्पादन में कमी हो जाएगी।

मै0 तिरूपति विनीयर्स प्रा0 लि0, विशाखापत्तनम

(i) केवल वुड विनियर उत्पादक ही ग्रीन विनीयर टेप का प्रयोग करते हैं तथा ऐसी विनीयर इकाइयों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें छोटे पैमाने की इकाइयाँ भी शामिल है। इस मद को विशेष रूप से किनारों की रक्षा हेतु बोंडिंग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे प्लाईवुड बनाते समय पीलींग, ड्राइंग, हैंडलिंग और संसाधन के दौरान् विनीयर की बर्बादी कम होती है।

(ii) ऐसे समय पर जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह के संरक्षण से भारतीय उद्योग की नुकसान होगा क्योंकि वे पुरानी प्रौधोगिकी से छोटे पैमाने पर उत्पादन पर ही आश्रित रहेंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्पाद खराब गुणवत्ता वाले होंगे।

मै0 बिनीकोम प्रोडक्टस प्रा0 लि0, कोलकाता

(i) विनीयरों की मोटाई 0.35 मिमी से अधिक नहीं है। इस तरह से किनारों को बांधना आवश्यक है और यह संपूर्ण भारत में अवस्थित हमारे क्रेताओं, जो मूलतः प्लाईवुड विनिर्माता इकाइयाँ हैं, के गंतव्यों तक बिल्कुल सही होनी चाहिए ।

(ii) ग्रीन विनीयर टेप अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और गुणवत्ता में समान होने चाहिए। अन्यथा हमारे निर्मित उत्पाद विनीयर अपनी मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे और क्योंकि आयात किए जा रहे हमारे लकड़ी के लट्ठे बहुत कीमती हैं, जिनका सरकार की ओजीएल प्रणाली के अनुसार किया जाता है, इसलिए हमारी उत्पादन लागत अत्यधिक और बाजार के लिए अव्यवहार्य हो जाएगी।

(iii) जहां तक हमें जानकारी है याचिकाकर्ताओं को छोड़कर भारत में ऐसा कोई उत्पादक नहीं है जो अच्छी गुणवत्ता को विनीयर टेप का निर्माण करता है और हमारा अस्तित्व केवल ताईवान की आपूर्ति पर निर्भर है तथा यदि यह प्राप्त नहीं होती है तो लम्बे समय के बाद हमारे जैसे सभी उद्योग अंततः समाप्त हो जाएंगे एवं आयातित लकड़ी के लट्ठों के सर्वोत्तम प्रयोग तथा सर्वोत्तम प्राप्ति हेतु उपयोग न होने के कारण मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बर्बादी होगी।

मै0 आकाश विनीयर्स प्रा0 लि0, मुम्बई

(i) ग्रीन विनीयर टेप वूड विनीयर्स पर लगाई जाती है। जो एक अत्यंत बहुमूल्य वैश्विक संसाधन है और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह एक ऐसे बहुमूल्य संसाधन की बर्बादी मे कमी करें। जीवीटी का प्रयोग मूलतः इसी प्रयोजनार्थ किया जाता है क्योंकि ये लकड़ी की बर्बादी को कम करता है जो अन्यथा हो जाती।

(ii) जीवीटी के एक रोल की कीमत लगभग *** रू0 प्रति रोल है जिसकी लगभग एक घन मीटर लट्ठे पर लगाने के लिए आवश्यकता होती है और जिसकी पहुँच लागत लगभग ... रू0 प्रति घन मीटर होगी। (सामान्यतः लट्ठों का आयात किया जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण पेड़ काटने पर पाबंदी है)

(iii) ए ग्रेड विनीयर को "सी" या "डी" ग्रेड में बदला जाता है इस पर यदि यह बेचे जा सके तो बहुत कम कीमत मिल पाती है।

(iv) फेस विनीयर की पूरी शीट असमान आकार के विनीयर में बदल जाती है इसके द्वारा इसका निवल प्राप्ति मूल्य लगभग 1/2 हिस्से तक घट जाता है। इन्हें भी हाथ से मरम्मत करके फुल शीट बनाये बिना नहीं बेचा जा सकता है।

(v) आयातित टेप्स भारत में विनिर्मित टेप्स के समरूप व समान नहीं है। आयातित ग्रीन विनीयर टेप्स हमारे द्वारा भारत में उत्पादित औसत गुणता के विनियर के अनुकूल बनाया गया है जबकि भारतीय टेप्स इस प्रकार के नहीं हैं।

(vi) संभवतः भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लट्ठों की छीलने के पश्चात .38 मिमी मोटाई के विनीयर बनाए जाते हैं, जबकि आम तौर पर स्वीकृत मोटाई .65 से .70 मिमी होती है। इस तरह की मोटाई कम मात्रा में छिलाई और अत्यधिक परिश्रम करने के कारण प्राप्त होती है।

(vii) जिस लकड़ी को हम छीलते हैं उसमें आम तौर पर पर्याप्त या आंशिक मात्रा में नमी (रेजिन) होती है और इस तरह के लट्ठों का हमारे द्वारा छीले गए सभी विनीयर में लगभग 95% हिस्सा बनता है।

मै0 गन्नी कमर्शियल कं0, कोलकाता

(i) सामान्य सर्कुलर स्लिटिंग (जैसी फैक्स रोल पेपर में होती है) के विपरीत इनमें अत्यधिक सूक्षमता वाली भारतीय या अधिमानतः आयातित स्लिटिंग मशीनों की आवश्यकता होती क्योंकि कट रोल्स के आम तौर पर बेचे जाने वाले प्रकार 1000 मीटर से 1500 मीटर की लम्बाई के हैं और ये 8 मिमी0 से 13.5 मिमी के अत्यंत कम चौड़ाई वाले होते हैं। यह भी नोट किया जाए कि इस उत्पाद के अंतिम उपयोग की प्रवृति ऐसी है कि इसे केवल रोल रूप में और अधिक लम्बाई में ही प्रयोग किया जा सकता है और उचित स्पूलिंग के बिना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार यह विनिर्माण प्रकिया भारत में केवल हमारे द्वारा पूरी की गई है और इसे उसी रूप में नहीं बेचा गया है जिस रूप में इसका आयात किया गया है ।

(ii) लागतों कि तुलना केवल समान उत्पादों अर्थात गोंद युक्त कागज बनाम स्थानीय विनिर्माता द्वारा गोद युक्त कागज के बीच होनी चाहिए और न कि वर्ग मीटर आधार पर टैप्स की कीमतों के बीच। चूंकि हम स्लिटिंग, स्पूलिंग और पुनः पैकिंग की प्रक्रिया में भी शामिल हैं इसलिए निर्यात और आयात नीति 2002-2007 के अनुसार " विनिर्माता" की परिभाषा के भीतर यह संपूर्ण कार्यकलाप आते हैं।

(iii) हमारे ताईवानी आपूर्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई ग्रीन विनीयर टेप बिल्कुल अलग है और इसके परिणामस्वरूप इनकी कीमतें भारतीय विनिर्माताओं से कम होना जरूरी है।

(iv) जाँचाधीन उत्पाद अधिक खपत वाली मद नहीं है क्योंकि यह एक अति विशिष्ट प्रयोग के लिए एक अति विशिष्ट मद है।

(v) बिक्रियां द्वितीय श्रेणी की हैं और उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति तथा इसकी कीमतों के कारणों के बारे में पूरी जानकारी है ।

आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज

(i) भारत में ऐसी 24 इकाइयाँ हैं जो लट्ठों से विनीयर शीट्स के विनिर्माण उत्पादन सहायक के रूप में तथा लट्ठों की छिलाई के समय किनारो की बैंडिंग के लिए ग्रीन विनीयर टेप का प्रयोग करती है। इनमें से ज्यादातर छोटे-पैमाने के उद्योग हैं और जिन्हें स्वामित्व वाली कंपनियां बताया गया है । इनमें से अधिकांश के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना मूश्किल है।

(ii) इनमें से कुछ इकाइयाँ जो हमारी सदस्य हैं का कहना है कि ग्रीन विनीयर टेप का आयात ताईवान से किया जाता है यह एक भारी खपत वाली मद नहीं है क्योंकि पिछले तीन क्रमागत वर्षों 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में बिना शुल्क के इनके आयात .1 करोड़ रूपये से भी कम के हुए हैं। इस समय इस पर 67 प्रतिशत का कुल शुल्क है जिसमें 16% का प्रतिसंतुलनकारी शुल्क शामिल है।

(iii) ग्रीन विनीयर टेप प्रयोक्ता सदस्य इस बात से खिन्न हैं कि केवल मुम्बई में अवस्थित देश के स्थानीय उत्पादक ही ग्रीन विनीयर टेप पर पाटन रोधी शुल्क लगवाने के लिए आगे आए हैं। यदि यह पाटन रोधी शुल्क लागू होता है तो इन इकाइयों के लिए ग्रीन विनीयर टेप का प्रयोग करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा और इनमें से अनेक के पास इकाई को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

मैं0 किटपलाई इंडस्ट्रीज लि0, कोलकाता

(i) याचिकाकर्ता ने हाल ही में ग्रीन विनीयर टेप का विनिर्माण शुल्क शुरू किया है और हम यह महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र में उनका अनुभव नगण्य है क्योंकि उनका उत्पाद विनिर्देशन उन्हें आयातित जांचाधीन समान उत्पाद के साथ श्रेणीबद्ध नहीं करता है इसके कारण निम्नानुसार है:

(ii) भारत में हमारे द्वारा पील की जा रही विनीयर की मोटाई के लिए आवश्यकता है कि 0.38 से 0.45 मिमी0 तक की मोटाई वाले और पर्याप्त से उच्च नमी के बीच वाले विनियरों पर जीवीटी लगाया जाए याचिकाकर्ता के टेप्स कम नमी मात्रा से पर्याप्त नमी मात्रा के विनीयर पर चिपकाने के लिए-है।

(iii) वाको के टेप्स की गुणवत्ता अत्यधिक असमान है अर्थात ग्लू की परत एक खेप से दूसरी खेप में अलग अलग है जिससे वुड विनीयर की भारी बर्बादी होती है जो विश्व का एक बहुमूल्य संसाधन है और जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए ।

मै0 सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स (इंडिया) लि0, कोलकाता

(i) ग्रीन विनीयर टेप एक ऐसी मद है जो केवल वुड विनीयर इंडस्ट्री द्वारा प्रयोग की जाती है और हमारी जानकारी के अनुसार देश में वार्षिक रूप से आयातों का कुल सीआईएफ मूल्य मात्र 1 करोड़ रूपये से भी कम है।

(ii) ग्रीन विनीयर टेप केवल गीले विनीयरों पर ही प्रयोग की जाती है और इससे किनारों की बाइंडिंग या हैंडलिंग के कारण लकड़ी की बर्बादी की कम करने में मदद मिलती है।

(iii) इन टेपों की लागत उस लकड़ी की लागत के बराबर नहीं है जो बर्बाद हो जाती यदि असमान गुणवत्ता की टेप्स इस्तेमाल में लाई जाएं। इन टेपों का विक्रेता किसी भी प्रकार से हमें उसकी टेप्स के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा, इन टेपों को प्रयोग करने की प्रक्रिया ऐसी है कि टैप्स की गुणवत्ता की तत्काल जाँच अनुप्रयोग या वास्तविक जाँच द्वारा संभव नहीं होती है।

(iv) याचिकाकर्ता (वाटरप्रूफ कोर्प, प्रा0 लि0) की ग्रीन विनीयर टेप्स हमारे द्वारा प्रयोग के लिए अनुकूल नहीं है और यह निम्नलिखित कारणोंवश आयातित टेप्स से भिन्न है:-

(क) आयातित ट्यूबें पर्याप्त से अधिक आद्रता अंश वाले वेनीयर में बड़ी मात्रा में चिपकी होती है जबकि याचिकाकर्त्ता की टेपों का विनिर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि वे वेनीयरों में न्यून से पर्याप्त आद्रता अंश वाले वेनीयरों में चिपक सकें । पहले वाला वेनीयर का जितना हम उत्पादन करते

हैं उसके लगभग 95% तक निर्माण करता है जबकि बाद वाला उत्पादित वेनीयर के केवल 60% का ही बनेगा । भारत संभवतः केवल एक ऐसा देश है जहां पेड़ों से लट्ठों को छीलने के बाद 38 वेनीयर की मोटाई प्राप्त होती है । सामान्य तौर पर स्वीकार्य मोटाई विश्वभर में .65 से .70 मिमी0 है । इसमें विशेष गुणवत्ता वाले टेपों की जरूरत होती है जिसकी आपूर्ति करने में याचिकाकर्त्ता असमर्थ है ।

(ख) इन आयातित टेपों की गुणवत्ता स्वरूप के अनुरूप है जबकि याचिकाकर्त्ता द्वारा विनिर्मित टेप असंगत हैं जिसके फलस्वरूप कतिपय क्षेत्रों/टेपों में सरेस की मात्रा अधिक और कुछेक में कम होती है ।

(ग) याचिकाकर्त्ता द्वारा विनिर्मित जीवीटी की गुणवत्ता स्वरूप के प्रतिकूल है और सरेस की असमान आवरण के कारण रोल दर रोल पर भिन्न होती है । चूँकि जीवीटी का इस्तेमाल वेनीयर पर किया जाता है जो गुणवत्ता में स्वयं भिन्न है (प्रकृति का एक उत्पाद होने के कारण) यह हमारे उत्पादन को अस्थिरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है ।

(घ) ग्रेड "ए" वेनीयर शीटों को गेड "ग" अथवा "घ" वेनीयर शीटों में परिवर्तित किया जाता है, परिणाम स्वरूप हमारे अंतिम उत्पाद जिसका हम निर्माण करते है, के लिए बहुत कम कीमत मिलती है । इससे वेनीयर के अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है और उक्त टेपों की मूल उपयोगिता में गिरावट आती है । प्रत्यक्ष वेनीयर की संपूर्ण शीटों का निवल वसूली मूल्य में लगभग् 50% तक गिरावट आ जाती है क्योंकि विषम आकार के वेनीयरों (काली) में परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हें बिक्री योग्य बनाने से पूर्व पूर्ण शीटों में परिवर्तन किए जाने हेतु उनकी हस्त मरम्मत भी की जाती है । अनेक शीटें अमरम्मत योग्य हो जाती है और इस प्रकार ये सम्पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है और इन्हें अग्नि हेतु बायलर में जलाया जाता है ।

(ड.) याचिकाकर्त्ता का हमारे उद्योग को ड्राई वेनीयर टेपों की आपूर्ति करने में 9 वर्षों से एकाधिकार था और यह उनके कार्य का मुख्य क्षेत्र था । डीवीटी भी सरेसयुक्त कागज का टेप है जिसका उपयोग शुल्क वेनीयरों की मरम्मत हेतु हाथ से किया जाता है जबकि जीवीटी का स्वतः प्रयोग बर्बादी रोकने के लिए आद्र वेनीयर पर किया जाता है ।

3. निर्यातकों के विचार

प्राधिकारी ने धारा 9(क) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । मै0 चियूर जियूई इंटरप्राइजेज कं0 लि0, ताइवान ने निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दिया है ।

मै0 चियूर जियुयू इंटरप्राइजेज कं0 लि0

(i) भारत को निर्यातित उत्पादों और दूसरे बाजारों में बिक्री किए गए उत्पादों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है । भारत को निर्यातित उत्पाद एक कोटेड पेपर है जिससे उपभोक्ता द्वारा ग्रीन विनीयर टेप "बी" ग्रेड बनाया गया है ।

(ii) ग्रेड "ए" टेप उपभोक्ता की इच्छानुसार लम्बाई और चौडाई में कट रोहन के होते हैं । टेप को बंडलों में पैक किया जाता है और इसे प्लास्टिक और पेपर से लपेटा जाता है । इन्हें कार्डबोर्ड डिब्बों में रखा जाता है और टेप से बांध दिया जाता है । इस प्रकार की प्रक्रिया भारत से निर्यात किए जाने वाले गोंद पेपर में नहीं की जाती है । भारत में विनिर्माता कटिंग, स्लिटिंग और पैकिंग नहीं करते हैं । वृहत रोलों में कोटेड पेपर को पैक करने की जरूरत नहीं होती है और इसे सीधे ही कंटेनरों में लाद दिया जाता है । इसके परिणामस्वरूप भारत को निर्यातित उत्पाद सस्ते होते हैं क्योंकि यहां कटिंग, स्लिटिंग और पैकिंग नहीं किए जाते हैं ।

(iii) बी ग्रेड पेपर का स्टिनरिंग करने में काफी अधिक अपशिष्ट निकलता हे । यह इसलिए होता है क्योंकि पेपर के साथ गोंद को कोटिंग करते समय थोडे समय के लिए गर्मी दी जाती है जिससे गोंद के छोटे धब्बे जो पूर्ण रूप से सूखते नहीं है, रह जाते है । भारत में उच्च गति की स्लिटिंग करते समय पेपर मे सीधे एवं तिरछे बल पड़ जाते है क्योंकि इन्हें उन जगहों पर हवा नहीं मिलती है । इसलिए बी ग्रेड के लिए स्लिटिंग में अपशिष्ट की मात्रा काफी अधिक होती है । परिणामस्वरूप जब कटे हुए टेप की बिक्री की जाती है अपशिष्ट की लागत हिसाब में आ जाती है जबकि जंबो रोल्स के मामले में अपशिष्ट की लागत भारतीय उपभोक्ताओं के हिस्से में जाती है । इसके अलावा चूंकि बी ग्रेड रोलों के मामले में कोटिंग मशीन तीव्र गति से चलती है । सुखाने के लिए कुल उपयोग किया गया ताप काफी कम होता है जिससे कोटिंग के लिए समय और मजदूरी को समय, बिजली और निर्धारित लागत में कमी आती है ।

(iv) बहुत खर्चीले और परिशुद्धता वाली स्मिटिंग मशीनों की सहायता से प्लास्टिक कोर पर अपेक्षित चौड़ाई और लंबाई को लिए कोटेड पेपर के वृत्ताकार को खोलने, स्लिटिंग करने और पुनः बांधने की आवश्यकता होती है । कटिंग करना परिशुद्धता उन्मुख कार्य है और इसक लिए समर्पित श्रमिकों की आवश्यकता होती है , स्लिटिंग मशीनों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का स्लिटिंग करने के समय के दौरान किसी दूसरी मशीन पर नहीं लगाया जा सकता ।

(v) भारत को निर्यातित कोटेड पेपर से विनिर्मित टेप "बी" ग्रेड की है जैसाकि निर्यात दस्तावेजों में दर्शाया गया है । ग्रेड "ए" तथा ग्रेड "बी" के बीच मुख्य अंतर इसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री की गुणवत्ता का है । "ए" ग्रेड सामग्री के मामले में गोंद की गुणवत्ता तथ मात्रा अधिक होती हैं । "ए" ग्रेड के मामले में कोटिंग किए जाने वाला मूल कागज 55 जीएसएम का होता है जबकि "बी" ग्रेड में प्रयुक्त कागज 65 जीएसएम का होता है । ए ग्रेड 55 जीएसएम कागज का मूल्य लगभग *** अमरीकी डालर/मी0 टन होता है जबकि बी ग्रेड में प्रयुक्त 65 जीएसएम के कागज का मूल्य *** अमरीकी डालर से ***/अमरीकी डालर/मी0 टन होता है । अतः "ए" ग्रेड में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की लागत गोंद और कागज की लागत में वृद्धि के कारण बी ग्रेड से बहुत अधिक है ।

(vi) भारत तथा अन्य बाज़ारों को निर्यातों के मामले में विपणन एवं बिक्री लागतें बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं । भारत के मामले में सभी बिक्रियां एकमात्र उपभोक्ता को की जाती है जो (टेप्स के विनिर्माण के पश्चात) बाद में इसे भारत में 150 से अधिक छोटे फेस विनीयर उत्पादकों के अपने उपभोक्ताओं को बेचता है । इस उपभोक्ता को सभी विपणन तथा बिक्री खर्च उठाने पड़ते हैं क्योंकि यही इन टेपों को बनाता तथा वास्तविक अंतिम प्रयोक्ताओं अर्थात फेस विनीयर विनिर्माताओं को बेचता है । यद्यपि अन्य बाजारों में हमारी सभी बिक्रियां कटी हुई एवं बनी बनाई तथा उपयोग के लिए तैयार टेपों की है और अधिकतर बिक्रियाँ

वास्तविक फेस विनीयर विनिर्माताओं को की जाती हैं और बिक्रियों के मामले में हम सभी विपणन एवं बिक्री लागते उठाते हैं ।

(vii) भारतीय बाजार में " बी " ग्रेड टेप बिकती हैं । भारत में फेस विनीयर (फेस विनीयर तुरंत छीली गई लकड़ी की बहुत पतली शीट होती है जिन पर ग्रीन विनीयर टेप लगाई जाती है) की छिलाई अत्यंत श्रम प्रधान, अल्प उत्पादक रोटरी पीलिंग मशीनों से होता है जो 0.38 मिमी0 चौडाई की अत्यंत पतली शीट का उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं, और भारत में यह सामान्यतः स्वीकृत माटाई है जिन पर टेप लगाया जाता है । विश्व के अन्य भागों, जहाँ हम "ए" ग्रेड टेपों की बिक्री करते हैं, में 0.70 मिमी0 से 0.85 के बीच की मोटाई वाले पुस विनीयर टेप्स का उत्पादन किया जाता है । भारत में विनीयरों की कम चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए भारत में भारतीय विनीयर विनिर्माताओं के लिए उपयुक्त बेची गई टेप्स का उच्च गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसे अन्य देशों की तुलना में काफी कम बजन के टियर पर लगना होता है । ग्रेड "ए" टेप सभी प्रकार के विनियरों अर्थात् बहुत कम रेजिन/नमी वाले विनियरों जैसे अफ्रीकी मूल के "ओक्यूम" तथ पर्याप्त से अधिक नमी वाली केरियुग किस्म की लकड़ी पर चिपकते हैं । इसके विपरीत "बी" ग्रेड के टेप केवल केरियुंग किस्म की पर्याप्त से उच्च रेजिन वाली लकड़ी जिसका आम तौर पर भारत में प्रयोग किया जाता है, पर चिपकायें जाने कि लिए उपयुक्त होती है ।

(viii) भारत में निर्यात बाजार में बिक्रियां साख पत्रों के तहत की गई हैं । घरेलू बाजार में बिक्रियां 2 से 3 महीने के ऋण आधार पर की गई हैं । सामग्री के लिए अग्रिम या तत्काल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के नकद छूटों की पोशकश की जाती है । भारत को बिक्रियाँ सीआइएफ आधार पर की जाती हैं । घरेलू बाजार में भी बिक्री कीमतों में भाड़ा तथा बीमा प्रभार शामिल होते हैं । अन्य देशों को की गई निर्यात बिक्रियाँ भी सीआईएफ आधार पर की गई है ।

(ग) **प्राधिकारी द्वारा जांच**

(i) निर्यातक और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त निवेदनों जहां तक नियमानुसार ये संगत हैं, का इस मामले पर प्रभाव है और इनकी जांच की गयी है, उन पर विचार कर इन निष्कर्षों में उचित स्थान पर उन पर समुचित कार्रवाई की गयी है ।

(ii) कीमत संबंधी वचन देने के इच्छुक निर्यातकों पर उनके अनुरोध पर उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(iii) जांच अवधि के दौरान जिन निर्यातकों/विनिर्माताओं ने भारत को निर्यात नहीं किया है वे जब भी भारत को निर्यात करेंगे उपर्युक्त पाटनरोधी नियमों के नियम-22 के अंतर्गत एक नए निर्यातक के रूप में समीक्षा किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

(i) विचाराधीन उत्पाद ग्रीन वेनियर टेप है । यह गम्मड पेपर रील्स के नाम से भी जाना जाता है जिसका मुख्य रूप से जम्बो रोल्स में आयात किया जाता है । इसका प्रयोग लॉग्स से विनियर शीट्स के विनिर्माण में उत्पादन सहायक के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग लॉग्स को छीलते समय किनारा रंकन से लिए भी होता है । इस मद का प्रयोग किनारा-संरक्षण बंधक (बोर्डिंग) माध्यम के रूप में विशेष रूप से किया जाता हे जो प्लाईवुड बनाने के लिए छीलते, सूखाते हैंडलिंग तथा प्रसंस्करण करते समय वेनियर के अपव्यय को कम करते हैं । इसका आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय के तहत किया जाता

है । वर्गीकरण उपशीर्ष 48.11, 48.11, 4900, 48.23 तथा 4823 1900 ग्रीन वेनियर टेप का विवरण बताते हैं । तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

(ii) आयातकों/निर्यातकों ने इस उत्पाद को "बी" ग्रेड का कोटिड पेपर के रूप में वर्णित किया है जो भारत को निर्यात किया गया है । उन्होंने आगे कहा कि भारत में विनिर्माता " ब " ग्रेड कोटिड पेपर को ग्रेड "ए" ग्रीन वेनियर टेप में चीर कर, काटकर, पैकिंग आदि करने के बाद ग्रीन वेनियर टेप में परिवर्तित किया जात है । निर्यातक ने दावा किया है कि ग्रेड "बी" कोटिड पेपर ग्रेड "ए" ग्रीन वेनियर टेप से भिन्न है जिनकी घरेलू बाजार में बिक्री नहीं की जाती है और जिनका निर्यात तृतीय देशों को किया जाता है । इन दोनों ग्रेडों में मुख्य भिन्नता कच्चे माल की गुणवत्ता में है और इस प्रकार सरेस और कागज की लागत में अंतर के कारण ग्रेड "ए" के कच्चे माल की लागत ग्रेड "बी" से अधिक है । कागज तथ सरेस की अधिक लागत छांटने तथा तैयार करने अधिक पैकिंग लागत और अधिक विपणन लागतों की अतिरिक्त श्रम प्रधान प्रक्रियाओं के कारण "ए" ग्रेड टेपों की कुली लागत भारत को निर्यात किए गए "बी" ग्रेड कोटिड पेपर से काफी अधिक है । याचिकाकर्त्ता ने ग्रेड "बी" वेनियर टेप के बारे में कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि वे केवल एक प्रकार का ग्रीन वेनियर टेप का ही विनिर्माण करते है जिसका प्रयोग लकड़ी के लठ्ठों से विनियर शीटों के विनिर्माण में उत्पादन सहायक के रूप में किया जाता है तथा इसका प्रयोग लठ्ठों को छीलते समय किनारों को बांधने के लिए भी किया जाता है ।

(iii) याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया है कि ताइवान से आयात किए गए जम्बो रोल्स उनके द्वारा विनिर्मित तथा बिक्री किए गए ग्रीन वेनियर टेप उत्पाद से भिनन नहीं हैं । आयातक लगभग 1.08 मीटर चौड़ाई तथा 3000 मीटर लम्बाई के लम्बे रोल्स में तैयार उत्पाद ला रहे हैं और उसके बाद ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आकारों में उन्हें काटा जा रहा है । वस्तुतः समस्त निवेश कागज को अपेक्षित रोल्स में बनाने और काटने, आवश्यकतानुसार सरेस बनाने, मूल कागज पर सरेस की परत चढ़ाने, मूल कागज पर सरेस को सूखाने और अंततः ग्राहक की अपेक्षानुसार काटनें, स्लिर करने और पैकेज करने में होता है । आयातकों को ग्राहकों की आवश्यकता के आकारों में आयातित बड़े रोल्स को काटना पड़ता है जबकि याचिकाकर्त्ता भी बड़े रोल बनाते हैं और तत्पश्चात इसी प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उन्हें काटते हैं और बेचते हैं ।

(iv) याचिकाकर्त्ता ने बताया कि ग्रीन विनीयर टेप का कोई ग्रेडेशन नहीं है और वे विश्व के किसी अन्य भाग में ऐसे ग्रेड "बी" के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने में अक्षम रहे हैं । याचिकाकर्त्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तु की कीमत पर निर्यितक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल कागज की लागत को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा । प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों की जाँच की और यह नोट किया है कि निर्यातकों ने स्वयं यह स्पष्ट किया है कि ग्रीन विनीयर टेप्स की किस्म ग्रेड "बी" का निर्यात केवल भारत को किया जाता है, यह न तो उनके घरेलू बाजार में बेची जाती है और न ही किसी तीसरे देश को निर्यात की जाती है ।

(v) कोटेड पेपर ग्रेड बी के संबंध मे प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता, निर्यातकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार किया है । पाटनरोधी नियमावाली के नियम-2 (घ) में समान वस्तु की परिभाषा इस प्रकार है:-

" समान वस्तु से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटन की जा रही जाँचाधीन वस्तु के सभी तरह से समान या समरूप हो, या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार समान न हो फिर भी उसमें जाँचाधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हों ।"

(vi) निर्यातक तथा आयातक के इन तर्कों के संबंध में कि आयातित वस्तु जाँचाधीन वस्तु के सभी तरह से समान या समरूप नहीं है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ साथ बताया है कि ग्रीन विनीयर टेप्स के दोनों ग्रेडों के बीच अत्यधिक प्रतिस्थापनीयता है तथा यह कि घरेलू तौर पर उत्पादित ग्रीन विनीयर टेप तथा आयातित ग्रेड बी कोटेड पेपर जिसका प्लाईवुड उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता हे, में विशेषताओं की दृष्टि से काफी समानता है । याचिकाकर्त्ता तथ आयातक/निर्यातक दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी यह निर्धारित करने को बाध्य है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रीन विनीयर टेप विचाराधीन उत्पाद ग्रेड बी कोटेड पेपर, से सभी प्रकार से समान समरूप नहीं है ।

(vii) प्रयोक्ता उद्योग को ग्रीन विनीयर टेप्स की बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, जिनका सत्यापन लागत एवं बिक्री के सत्यापन के दौरान किया गया है, से उनके बिक्री तथा उत्पाद रजिस्टर से यह स्थापित हुआ था कि प्लाइवुड उद्योग घरेलू तौर पर विनिर्मित ग्रीन विनीयर टेप्स का प्रयोग कर रहा है जो जैसा उनके द्वारा दावा किया गया है आगे आयातित ग्रीन विनीयर टेप का भी प्रयोग करता है । प्रयोक्ता उद्योग ने अपने अनुरोधों में इस बात की पुष्टि की है कि प्लाईवुड उद्योग में आयातित ग्रीन विनीयर टेप्स का उपयोग किनारों के संरक्षण-बांडिंग माध्यम के रूप में किया जाता है जिससे प्लाईवुड बनाते समय छीलने, सुखाने, प्रहस्तन तथा संसाधन के दौरान विनीयर की बर्बादी में कमी होती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक किस्म का आयात एवं उपयोग किया गया है जबकि दूसरी किस्म का किया गया उपयोग दोनों ग्रेडों के बीच तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता को सिद्ध करता है ।

(viii) अतः भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रीन विनीयर टेप तथा चीनी लाईपेई से निर्यातित ग्रीन विनीयर टेप में कोई खास अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित तथ चीनी ताईपेई से आयातित ग्रीन विनीयर टेप भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्दिष्टताओं, वितरण एवं विपिणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ताओं ने इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया है । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित और चीन ताइपेई से आयातित ग्रीन वीनियर टेप को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु के रूप में माना जाता चाहिए । भारतीय उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी चीन ताइपेई के ग्रीन विनियर टेप के विनिर्माताओं द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है ।

(ix) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों के मद्देनजर और सम्बद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के उन्ही उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिस्थापनीयता और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग को ध्यान में रखते हुए निर्यातित सम्बद्ध वस्तु और घरेलू तौर पर उत्पादित नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु माना है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ताओं, आयातकों, निर्यातकों के विचारों को ध्यान में रखते

हुए समान वस्तु पाटन, क्षति, कारणात्मक संबकंध से संबंधित पहलुओं की जांच अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ विस्तारपूर्वक की जानी चाहिए ।

इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के रूप में ग्रीन वीनियर टेप के सभी प्रकार शामिल हैं ।

2. **घरेलू उद्योग**

(i) घरेलू उद्योग की ओर से याचिका मैसर्स वाटरप्रूफ कारपोरेशन प्रा0 लि0 द्वारा दायर की गयी है । याचिकाकर्त्ता का यह दावा है कि याचिकाकर्त्ता कम्पनी विचाराधीन संबद्ध माल के 100% उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है । उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, याचिकाकर्त्ता के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच करने के लिए मामला दायर करने का आधार है ।

(ii) प्राधिकारी यह बात भी नोट करते है कि याचिकाकर्त्ताओं का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक बनता है और इसलिए उनके पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) (क) तथा (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने और नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने का भी आधार है ।

3. **सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

धारा 9क (i) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ हैं :-

(i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या

(ii) जब व्यापार के सामानय रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो :-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

"बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।"

सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण का ब्योरा निम्नानुसार है:-

मै0 चिऊर जिऊए एंटरप्राइज कं0 लि0, चीन ताइपेई

सामान्य मूल्य

(i) प्राधिकारी ने धारा 9क (1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से भी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । मै0 चिऊर जिऊए एंटरप्राइज कं0 लि0, ने निर्यातों से संबंधित सूचना देते हुए प्रश्नावली का उत्तर दिया । निर्यातक ने उल्लेख किया है कि न तो मितव्ययी आकार में ग्रेड "बी" कोटिड पेपर की घरेलू बिक्री की गई है और न ही तीसरे देशों को कोटिड पेपर के इस ग्रेड का निर्यात किया गया है । ग्रेड "ए" ग्रीन वीनियर टेप और ग्रेड "बी" कोटिड पेपर दोनों क उत्पादन की लागत परिशिष्ट 8, 0 और 10 में दी गई है । चूँकि उनके घरेलू बाजार में समान उत्पाद की कोई घरेलू बिक्री अथवा तीसरे देशों को निर्यात नहीं हुआ है इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण ग्रेड "बी" कोटिड पेपर के लिए निर्यातक की प्रश्नावली में उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत संबंधी सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए । कोटिड पेपर के उत्पादन की लागत की जांच करने पर इसे काफी अधिक त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि श्रम और उपयोगिताओं की लागत ग्रीन वीनियर टेप क लिए ग्रेड "ए" और ग्रेड "बी" के बीच 3000% से अधिक का अन्तर दर्शाती है जिसको समर्थनकारी दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है । इन दोनों ग्रेडों के लिए ह्रास लागत 1000% से अधिक दिखाई गई है जबकि कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी और आंकड़ों को तर्कों और समर्थनकारी दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है ।

(ii) चालू वर्ष और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए व्यापारिक और लाभ तथा हानि लेखे, तुलनापत्र, जो सकल लाभ, बिक्री के ब्यौरे तथा प्रशासनिक एवं अन्य लागतें तथा निवल लाभ दर्शाते हैं, उन्हें प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(iii) परिशिष्ट-7 में पिछले दो वर्षों के साथ साथ जांच की अवधि के लिए ग्रेड बी कोटिड पेपर संबंधी विस्तृत सूचना के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के लिए सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

iv) चूंकि कंपनी जांच किए जा रहे उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों का भी विनिर्माण कर रही है इसलिए उपयोगिता और ऊपरी खर्चों के सभी घटकों जैसे लागत के आंबटन के आधार के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है । इन खर्चों को त्रिमाहीवार बिक्री सूचना के साथ तुलना के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ एवं हानि लेखा संबंधी तिमाहीवार सूचना के साथ सत्यापनीय होना चाहिए ।

v) निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए असंतोषजनक उत्तर को देखते हुए प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर ध्यान न देते हुए उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया हैं । अतः चीनी ताइपेई में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य कीमत का निर्धारण करने के लिए मूल देश में उत्पादन तथा बिक्री के अनुमानित खर्चे, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों तथा उचित समायोजन करने के पश्चात होने वाले यथोचित लाभ को आधार के रूप में लिया गया है ।

vi) अतः प्रारंभिक निर्धारण में, मै. चियूर जियूई इंटरप्राइसेज कं.लि. के लिए सामान्य मूल्य, **** डालर/वर्ग मी. दिया गया है ।

निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के संबंध में निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर परिशिष्ट 2 में विचार किया है । निर्यातक ने पैकिंग, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा तथा नौवहन प्रभारों के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है । प्राधिकारी ने जांच एवं सत्यापन के अधीन, मै. चियूर जियूई इंटरप्राइसेज कं.लि.के लिए चीनी ताइपेई से भारत को कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ, इन समायोजनों को स्वीकार किया है ।

अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ, कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** रूपए/वर्ग मी. दी गई है ।

अन्य निर्यातक/उत्पादक

क. सामान्य मूल्य

i) मै. चियूर जियूई इंटरप्राइसेज कं.लि. के अलावा चीनी ताइपेई के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली को सहयोग अथवा उत्तर नहीं दिया है । असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम (6) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए बाध्य हैं ।

ii) उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण होने तक, प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ चीनी ताइपेई के लिए *** रूपए/वर्ग मी. परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

ख. **निर्यात कीमत**

i) प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस कोलकाता से प्राप्त आंकडों के आधार पर किया गया है । पैकिंग, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और नौवहन प्रभारों के कारण समयोजन की अनुमति चीनी ताइपेई के असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए दी गई है ।

ii) अंतिम निर्धारण होने तक, प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ, कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** रूपए/वर्ग मी. दी गई है ।

5. 4. **पाटन - सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना**

तुलना से संबंधित नियमावली में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गयी बिक्रियों के संबंध में की जाएगी जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी, अंतर में शामिल हैं बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

संबद्ध देशों में सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना औसत कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात मूल्य से की है ।

निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

देश	सामान्य मूल्य (एनवी) (रू/वर्ग मी0)	निर्यात कीमत (ईपी) रू0/वग्र मी0	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
मै0 चियूर जियूरे इंटरप्राइसेज कं0 लि0 चीनी ताइपेई	****	****	164 %
चीनी ताईपेई के अन्य सभी नियातक उत्पादक	****	****	171 %

6. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत क्षति के बारे में जब किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में "..... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रूकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

(ii) भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, हम उपरोक्त नियमों के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर

प्रभाव डालते हैं, यथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन इत्यादि ।

(iii) प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के मामले में निम्नलिखित आर्थिक मापदंडों की जाँच की,

भारतीय उत्पादकों द्वारा धारित बाजार हिस्से में परिवर्तन

(i) निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा दर्शाती है । देश में कुल मांग की तुलना में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी वर्ष 2000-2001 के दौरान 32.08% से घटकर जाँच अवधि के दौरान 27.74% हो गया है ।

वर्ष	घरेलू बिक्री (वर्ग मीटर)	कुल मांग (वर्ग मीटर)	% हिस्सा
1990-2000	****	****	23.71
2000-2001	****	****	32.08%
2001-2002	****	****	27.72%

पाटित आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

(i) जहाँ तक आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) कोलकाता द्वारा प्रकाशित संबद्ध वस्तु के आयात के आंकड़ों पर विचार किया है । इसलिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयात के रूझान तथा इसके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विश्लेषण के लिए डीजीसीआई तथा एस के आंकड़ों को विश्वसनीय माना है ।

(ii) निम्नलिखित तालिका को देखने से स्पष्ट है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 में -12.16% से पर्याप्त रूप से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 203.13% हो गए हैं । यह स्पष्ट है कि चीनी ताईपाई से वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रीन विनियर टेप के 1448280 वर्ग मीटर के निर्यातों की तुलना में 941920 वर्ग मीटर का निर्यात किया गया था ।

जॉच अवधि (अप्रैल 2001-मार्च 2002) के दौरान ग्रीन विनिअर टेप के आयातों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई । प्राधिकारी नोट करते है कि संबद्ध देश से ग्रीन विनियर टेप के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

वर्ष	संबद्ध देश से आयात (वर्ग मी.)	% बदलाव
1999-2000	1648800	
2000-2001	1448280	-12.16 %
2001-2002	2941920	203.13 %

बाजार हिस्सा और क्षमता उपयोग

i) यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन मात्रात्मक रूप में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान अधिक हो गया था लेकिन निम्नलिखित सारणी से यह देखा जा सकता है कि मात्रात्मक रूप में बढ़े हुए उत्पादन के बावजूद उत्पादन क्षमता का 63% से अधिक हिस्सा जांच अवधि के दौरान अप्रयुक्त रहा है । जांच अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण हुई । घरेलू बिक्री मांग में वृद्धि के कारण वृद्धि की प्रवृत्ति मालूम होती है लेकिन उद्योग को पाटित आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अलाभकारी कीमत पर अपने उत्पाद की बिक्री करनी पड़ी है ।

वर्ष	क्षमता उपयोग(%)	घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (%)	अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता(%)
1999-00	18.04	23.71	81.96
2000-01	21.10	32.08	78.90
2001-02	36.74	27.74	63.26

वर्ष	मांग	बिक्री
1999-2000	100	100
2000-01	134	90
2001-02	220	174

(सूचीबद्ध आंकड़े)

ii) याचिकाकर्ता की बिक्री की मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान अधिक हुई है । यह भी देखा गया है कि उद्योग वर्ष 2000-01 की कीमत की तुलना में जांच अवधि में कीमत नहीं प्राप्त कर रहा है । संबद्ध देश से आयातों की कीमतों के दबाव के कारण घरेलू उद्योग एक उचित कीमत अथवा एक उपयुक्त आय की दर प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है । पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई है । वास्तव में यह अनुरोध किया गया है और प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में प्रति इकाई हानि में भी गिरावट आई है और अभी भी पाटित आयातों से घरेलू उद्योग उपयुक्त कीमत प्राप्त करने के लिए कीमत में विधि सम्मत बढ़ोतरी करने से वंचित हुआ है ।

वर्ष	बिक्री मात्रा(वर्ग मी.)	बिक्री मूल्य(रूपए)	इकाई कीमत(रू./मी.टन)
1999-2000	****	****	****
2000-01	****	****	****
2001-02	****	****	****

मांग में बाजार हिस्सा

	1999-2000	2000-01	जांच अवधि
याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा(%)	23.71	32.08	27.74
पाटित आयातों का हिस्सा(%)	76.29	67.92	72.26

i) उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि मांग में याचिकाकर्ता का हिस्सा 32.08% से गिरकर जांच अवधि के दौरान 27.74% हो गया है जबकि चीन ताइपेई से पाटित आयातों का हिस्सा 2000-2001 में 67.92% से बढ़कर जांच अवधि में 72.26% हो गया है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के आयात समंक और बिक्री आंकड़ों का विश्लेषण और जांच की और नोट किया कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की मांग को विस्थापित किया है और साथ ही बाजार पर पकड़ बनाने के लिए ताइवान से ग्रीन वीनियर टेप के कम कीमत के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा की है ।

माल सूची

i) याचिकाकर्ता की माल-सूची मार्च 2001 के अंत तक के 41730 वर्ग मी.से बढ़कर 31.3.2002 तक 64748 वर्ग मी. हो गया जो कि याचिकाकर्ता के उत्पादन के संबंध में बहुत अधिक है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध माल सूची के साथ संयंत्र के कम उपयोग से यह पता चलता है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है ।

रोजगार

पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता के रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

मजदूरी

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मजदूरी का निर्धारण श्रम संबंधी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है क्योंकि मजदूरी को याचिकाकर्ता कंपनियों की वित्तीय स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी ने स्थिति को नोट किया है ।

लाभप्रदता

वर्ष	बिक्री मात्रा (लाख रू.में)	बिक्री की लागत (लाख में)	लाभ/इकाई	लाभप्रदता
1999-2000	****	****	****	****
2000-01	****	****	****	****
2001-02	****	****	****	****

कच्चे माल की लागत में कमी और क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण वर्ष 2001-02 के दौरान प्रति इकाई हानि में मामूली गिरावट आई है । जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में गिरावट आई है जबकि बिक्री कीमत में भी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग को इस तथ्य के कारण हानि हो रही है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कारण बाजार में बने रहने के लिए अपने उत्पादन की लागत से कम बिक्री कीमत तक कटौती करने को मजबूर होना पड़ा । उद्योग को कम बिक्री कीमत के कारण वास्तविक क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत वसूल नहीं हुई है और इस प्रकार वित्तीय हानि हुई है ।

निवेश पर आय (लगाई गई पूंजी)

i) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उद्योग हानि पर प्रचालन कर रहा है और इस प्रकार घरेलू उद्योग अपने निवेशों पर कोई आय प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय नकारात्मक है ।

ii) वास्तव में, यह अनुरोध किया गया है और नोट किया गया है कि जांच अवधि में प्रति इकाई हानि कम हुई है तब भी पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि से उबरने अथवा उसे कम करने और उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार करने से वंचित किया ।

कीमत कटौती, कीमत में कमी/ह्रास और कम कीमत पर बिक्री

i) कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है या क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक कम करना है ।

ii) प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना निवल बिक्री प्राप्तियों से की है और पाया है कि पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कमी की गई है । आयातों के पहुंच मूल्य को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से बहुत कम पाया गया है । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा ताकि वह संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अपने बाजार हिस्से को कायम रख सके ।

iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की भी जांच की कि घरेलू उद्योग ग्रीन वीनियर टेप की बिक्री से हुई हानि के कारण प्रभावित हो रहा है । प्राधिकारी नोट करते हैं क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम बिक्री कीमत एक महत्वपूर्ण संकेतक है । प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत को निकाला है और कम बिक्री कीमत की सीमा पर पहुंचने के लिए इसकी तुलना पहुंच मूल्य से की है । यह विश्लेषण कम बिक्री कीमत के प्रभाव के महत्वपूर्ण स्तर को दर्शाता है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

iv) याचिकाकर्ता का दावा है कि आयातों का घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कमी/ह्रास प्रभाव पड़ रहा था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों पर महत्वपूर्ण कमी/ह्रास प्रभाव था, क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मद्देनजर अपनी बिक्री कीमतें नहीं बढ़ा पा रहा था । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उत्पादन की लागत से कम है जिसके परिणामस्वरूप कमी/ह्रास प्रभाव पड़ा ।

v) इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की बिक्री से क्षति हुई है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती की सीमा का, निर्धारण किया है और माना है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती और कीमत अवमूल्यन हुआ है ।

वृद्धि

यह अनुरोध किया गया और नोट किया गया कि उद्योग में नकारात्मक प्राप्ति और जारी पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग आगे बढ़ने की कठिन परिस्थिति में है क्योंकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बेशी उपलब्ध क्षमता है ।

क्षति का खतरा

जहां तक क्षति के खतरे का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में निम्नानुसार उल्लेख है:-

वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न कि केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर । परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी । वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध मे आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना प्रदर्शित होती हो;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता अथवा उसमें तत्काल पर्याप्त वृद्धि जिससे भारतीय बाजार को अत्यधिक संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना प्रदर्शित होती हो;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनमें घरेलू कीमतों में अत्यधिक गिरावट या कमी आएगी और जिनसे आगे और आयात हेतु मांग बढ़ने की संभावना होगी; तथा

(घ) वस्तु सूचियों की जांच की जा रही हो ।

प्राधिकारी ने क्षति के खतरे के पहलुओं की जांच की और नोट किया कि आयातों से घरेलू बाजार में कीमतों में भारी कटौती हो रही है जिसका विश्लेषण व्यापक रूप से पूर्ववर्ती पृष्ठों में किया गया है । याचिकाकर्ता ने बेशी क्षमता और आयातों के साक्ष्य के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं । इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के खतरे का पता लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है ।

क्षति के बारे में निष्कर्ष

उपरोक्त के दखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं-

(क) संबद्ध देश से हुए आयातों में संपूर्ण रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

(ख) संबद्ध देश से हुए आयातों में भारत में ग्रीन वीनियर टेप की मांग के संबंध में वृद्धि हुई है ।

ग) आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है ।

घ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में भारी कमी आई है जिसके फलस्वरुप वित्तीय हानियां हुई हैं।

(ड.) याचिकाकर्त्ता कीमत में कमी/ह्रास का सामना कर रहा है क्योंकि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है ।

(च) याचिकाकर्त्ता को कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है क्योंकि सम्बद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत अथवा उचित बिक्री कीमत से कम है ।

(छ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ज) क्षति के खतरे का कोई साक्ष्य नहीं है ।

कारणात्मक संबंध

1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-2 के नियम (iv) के अनुसारः

i) " घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करते समय उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग में वास्तविक एवं संभावित कमी, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, मार्जन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, सूचियों में वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता शामिल है ।"

ii) प्राधिकारी मानते हैं कि सम्बद्ध देश से आयातों की बढ़ती हुई मात्रा के फलस्वरुप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । ग्रीन वेनियर के आयात के फलस्वरुप घरेलू उद्योग की बिक्री संविदा में कमी आई है और इससे घरेलू [illegible] से उत्पादित ग्रीन वेनियर टेप की मांग भी कम हो गई । वास्तव में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ । इसके फलस्वरुप घरेलू उद्योग अपनी उचित बिक्री कीमत को वसूल करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसे हानि उठानी पड़ी, इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सम्बद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कारण हुई थी । घरेलू उद्योग को क्षति सम्बद्ध देश से समान वस्तु के पाटित आयातों के परिणामस्वरुप हुई है ।

iii) घरेलू उद्योग सम्बद्ध देश के निर्यातकों द्वारा ग्रीन वेनियर टेप के पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा है । सम्बद्ध देश से आयातों में वृद्धि का कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था । इसके फलस्वरुप जहां एक ओर आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है । मांग में कोई कमी नहीं है । अपितु मांग में वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अथवा प्रौद्योगिकी में विकास जैसे कोई कारक नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई हो ।

6. **भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे**

i. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है ।

ii. प्राधिकारी यह भी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि पाटनोरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरुप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है, किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा और इस प्रकार संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे ।

iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से सम्बद्ध देश से आयात भी किसी तरह से प्रभावित नहीं होंगे और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी ।

iv. प्राधिकारी ने समुचित बिक्री कीमत के बारे में याचिकाकर्त्ताओं के अनुरोधों के बारे में याचिकाकर्त्ताओं के अनुरोधों पर विश्वास ही नहीं किया अपितु प्राधिकारी ने ग्रीनवेनियर टेप की लागत तथा विनिर्माण प्रकिया की मौके पर जांच तथा सत्यापन करने के लिए एक दल को भी नियुक्त किया तथा घरेलू उद्योग के लिए भारत में ग्रीन वेनियर टेप की उचित बिक्री कीमत का विस्तार से आकलन किया ।

v. उपभोक्ताओं द्वारा ये तर्क दिए गए हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से ग्रीन वेनियर टेप के उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाएगी तथा कीमतें अधिक हो जाएंगी और इससे घरेलू

प्लाईवुड उद्योग को नुकसान हो सकता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुचित व्यवहार पर आधारित कीमत संबंधी लाभ न्यायोचित नहीं है और ये अन्ततोगत्वा उपभोक्ता के हित को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ।

7. **पहुंच मूल्य**

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

(घ) **निष्कर्ष**

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

i. सम्बद्ध देश से ग्रीन वेनियर टेप(ग्रेड बी कोटेड पेपर) का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है,

ii. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है,

iii. घरेलू उद्योग को उक्त वास्तविक क्षति सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है,

iv. अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए सम्बद्ध देश से ग्रीन वेनियर टेप के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक अनंतिम रुप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ।

v. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या इससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं, जिसे यदि यह लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच की अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्त्ता की क्षति रहित कीमत से की गई है ।

vi. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 तथा उपशीर्ष सं0 4811,

4811, 4811.4900, 48.23, 4823.1900 के अंतर्गत आने वाले ग्रीन वेनियर टेप के(ग्रेड बी कोटेड पेपर)के सभी आयातों पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

पाटनरोधी शुल्क नीचे कालम 3 में उल्लिखित राशि और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा ।

1	2	3
देश/स्रोत	निर्यातक/उत्पादक	राशि (रु0/वर्ग मीटर)
चीनी ताईपेई	मै0 चियूर जियूई इंटरप्राइजिज. कं0 लि0,	7.46
चीनी ताईपेई	सभी निर्यातक/उत्पादक	7.46

ड. **आगे की प्रक्रिया**

प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन जांच परिणामों के बारे में टिपण्णियां आमंत्रित करेंगें और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा ;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों,आयातकों, याचिकाकर्त्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो इस पत्र के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकती है;

(ग) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे;

(घ) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे, जिसके लिए सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से तिथि तथा समय के बारे में सूचना दी जाएगी ।

(ड.) अंतिम जांच परिणामों की घोषणा से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2003

PRELIMINARY FINDINGS

Subject : —Anti-Dumping Investigation concerning imports of Green Veneer Tape into India originating in or exported from Chinese Taipei.

No. 14/50/2002-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a petition filed by M/s Waterproof Corporation Pvt. Ltd., on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Green Veneer Tape originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject country).

ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.

iii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Chinese Taipei. The authority notified the Economic and Cultural Centre of Chinese Taipei in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.

iv) The Authority issued a public notice dated 27.12.2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under chapter 48 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Chinese Taipei.

v) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporter (whose details were made available by petitioner) and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2):

vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

vii) Requests were made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

viii) The Authority provided a copy of the petition to the known exporter and the Embassies/High Commissions/Trade Organigations of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential petition was also provided to other interested parties, wherever requested.

ix) Economic and Cultural Centre of Chinese Taipei were informed about the initiation of investigation in accordance with Rules 6 (2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time along with the copy of non confidential version of the petition, copy of the initiation notification and the exporters questionnaire.

x) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):

1. M/s. FU TA Physical & Chemical Co. Ltd, Taiwan
2. M/s. Chung I Tape Co. Ltd.,

xi) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

1. M/s. Gunny Commercial Co., Kolkata
2. M/s. Kiran Trading Co., Kolkata
3. M/s. Century Plyboards (India) Ltd., Kolkata
4. M/s. Binicom Products Pvt. Ltd., Kolkata
5. M/s. National Plywood Industries Ltd., Kolkata
6. M/s. Kitply Industries Ltd., Kolkata
7. M/s. United Timber Industries, Kolkata
8. M/s. Malpani Veneers (Pvt.) Ltd., Kutch (Gujarat)
9. M/s. Lucky Wood Products Pvt. Ltd., Thane
10. M/s. Tinsukhia Plywood Pvt. Ltd., Patiala
11. M/s. Compact Ply Board, New Delhi
12. M/s. Nitasha Veneer Industries Pvt. Ltd., Visakhapatnam
13. M/s. Evergreen Veneer Pvt. Ltd., Visakhapatnam

14. M/s. Andhra Wood Products Pvt. Ltd., Visakhapatham
15. M/s. Tirmala Boards, R.R. District
16. M/s. Asia Timber Products Pvt. Ltd., Andaman
17. M/s. The Mysore Chipboards Ltd., Mysore
18. M/s. National Boards, Kerala
19. M/s. Kanachur Seasoning Industries, Mangalore
20. M/s. Deccan Veneer Pvt. Ltd., Visakhapatnam
21. M/s. Andhra Timber Products Ltd., Visakhapatnam

xii) Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers by 17.3.2003,

1. M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd.,

xiii) Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following Importers/user/Associations 17.3.2003:-

1. M/s. Gunny Commercial Co., Kolkata
2. M/s. Kiran Trading Co., Kolkata
3. M/s. Choice Ply Pvt. Ltd., Visakhapatnam
4. M/s. Russaka Ply India Ltd., Gandhidham
5. M/s. Mayur Veneer & Plywood Industries, Kolkata
6. M/s. Kitply Industries Ltd.,
7. The All India Association of Industries, Mumbai
8. M/s. Aakash Veneers Pvt. Ltd., Mumbai
9. M/s. Binikom Products Pvt. Ltd., Kolkata
10. M/s. Tirupati Veneers Pvt. Ltd., Visakhapatnam
11. M/s. Supreme Wood Products Pvt. Ltd., Kolkata
12. M/s. Landmark Veneer Pvt. Ltd., Ghandhidham
13. M/s. Ratanwood Pvt. Ltd., Gandhidham
14. M/s. Century Plyboards (India) Ltd., Kolkata
15. M/s. Andhra Wood Products Pvt. Ltd., Visakhapatnam
16. M/s. Tirumala Boards, Hyderabad

xiv) Information regarding injury was sought from the petitioner(s), which was also furnished by the petitioner. The injury parameters of the following domestic producers were furnished:-

1. M/s Waterproof Corporation Pvt. Ltd., Mumbai

xv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xvi) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally

Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner. The cost data of the following domestic producers was provided and analysed:--

1. M/s. Waterproof Corporation Pvt. Ltd., Mumbai

xvii) Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which were furnished;

xviii) ****In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 31st March 2002 i.e. the period of investigation (POI).

xx) Copies of Initiation Notification were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM, etc for wider circulation

B. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

1. PETITIONER'S VIEWS

i) The product under consideration is Green Veneer Tape (Also referred to as subject goods hereinafter). It is also known as gummed paper reels mainly imported in jumbo rolls. It is used as a production aid in the manufacture of veneer sheets from logs and also used for edge bending while peeling the logs.

ii) The petition has been filed by M/s. Waterproof Corporation Pvt. Ltd., Mumbai on behalf of the domestic industry. This petitioner company represents 100% of the production of the subject goods under consideration.

iii) Green Veneer Tape produced by the domestic industry and imports from subject country is comparable in terms of characteristic such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specification, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and used interchangeably.

iv) The petitioners have not been able to get any reasonable and authentic evidence with regard to the prices of the Green Veneer Tape in the subject country or price list of the exporters either for sale in their domestic market or for export to the countries other than India.

v) The Normal Value has been constructed on the basis of estimated cost of production of the subject goods, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin for Taiwan.

vi) Market share of domestic industry in comparison to the total demand in the country have also decreased from 37.56% in 2000-2001 to 32.05% during the period of investigation.

vii) The import from the subject country during the period of investigation in comparison to the previous year have increased substantially from –24.36% in 2000-2001 to 209.69% during the period of investigation.

viii) Imports from the subject country in comparison to the total demand in the country have also increased from 62.44% in 2000-2001 to 67.95% during the period of investigation.

ix) The fact that 2384640 Sq. Mt. of dumped imports arrived into India during period of investigation is adequate evidence that it lost potential customers.

x) The production by the petitioners in quantitative terms went up during the period of investigation over the preceding financial year. But it may be observed that despite increased production in quantitative terms there has been more than 63% of production capacity which remained unutilized during the period of investigation.

xi) The volume of sales by the petitioners went up during the period of investigation over the preceding financial year. It will be observed that the industry is not realizing the price in the period of investigation as against the price in 2000-2001. Because of the pressure on prices from imports from subject country, the domestic industry is not able to realize a fair price or a reasonable rate of return.

xii) The inventories of the petitioners have increased from 41730Sq. Mt at the end of March 2001 to 64748 Sq. Mt. as on 31.03.2002, which is very high being about 5.64% of production of the petitioners.

xiii) There has been no increase in the employment of the petitioner during the previous two years.

xiv) No impact on wages as they are determined according to the provisions of Labour Laws. The wages cannot be changed according to the financial health of the petitioner companies.

xv) To retain its market share, the domestic industry had no option but to reduce its price to unremunerative levels.

xvi) The industry is operating at a loss and thus the domestic industry has not been able to earn any return on its investments.

xvii) The landed value of the product under consideration from Taiwan is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject

goods. The injurious effect of this high level of price underselling had had a direct and deleterious effect on the financial performance of the domestic industry.

xviii) The effect of the injury to the domestic industry due to dumped imports is further accentuated by the fact that not only the subject goods are being undersold, the exporters from the subject countries are also indulging in price undercutting. The landed value (i.e., the CIF price plus customs duty) of the dumped imports has been much below the selling price of the domestic industry during the period of investigation. Thus there is a constant pressure on the domestic industry to bring down their prices lower than even the current prices.

xix) The negative returns in the industry due to continued dumped imports, the domestic industry is not in a position to grow in the national interest despite the fact that there is surplus available capacity to meet the domestic demand

xx) In addition to the material injury, which is already inflicted on domestic industry, the imports are causing threat of injury to the domestic industry. This is evident from the very significant price undercutting to the extent of as high as 49.45%. Significant price cutting, coupled with very large disposable capacities with the producers in this country is a clear evident of threat of injury to the domestic industry from these dumped imports.

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminenet. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
b) Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,
d) Inventories of the article being investigated.

xxi) In the instant case imports of Green Veneer Tape have suddenly shot up and are likely to increase further in case the present trend of price undercutting continues. The subject country has sufficient freely disposable capacities. Price undercutting has a tremendous impact on the Green Veneer Tape market, as the domestic industry is compelled to match the quoted prices to retain its market share.

xxii) It is evident from the above that there is sufficient evidence of dumping of the subject product from Chinese Taipei which has already caused material injury to the

domestic industry and which continues to be a threat of material injury to the domestic industry.

2. **IMPORTER/USER'S VIEW**

M/s. Ratanwood Pvt. Ltd.,

i) Although the value of tapes, are very small, it plays a very crucial role in determining the total imports of Logs & Processing. It should be noted that all the veneers we produce are manufactured entirely from imported wood (Tree Trunks), imported from countries like Burma, Malaysia and Indonesia etc.

ii) Green Veneer Tapes are applied through an automatic device on the top side and on both the edges of the wet veneer during the time of peeling. Being a natural product, logs are inconsistent in quality; as the tapes manufactured by the petitioner is also very inconsistent in quality it is unable to stick properly on veneer resulting in breakage of the veneer and thus adding to wastage of wood, which today is such a precious part of world resource. The tapes supplied by the petitioner are also very good for low to sufficient moisture/resin veneers only, while our maximum production comprises of sufficient to high moisture veneers due to the type of wood and thickness of veneer.

iii) The petitioner should change its quality to meet the demand of the quality of wood being manufactured by Indian producers instead of taking the route to imposing anti dumping duty. As the petitioner is new to Green Veneer Tapes, it needs to improvise and learn to produce the quality of tapes needed by the Indian Veneer Manufacturers.

M/s. Landmark Veneer Pvt. Ltd., Gandhidham

i) The resent introduction of Green Veneer Tapes by the petitioner generally sticks on good quality Veneer's having normal to low resin in them but do not stick well on Veneers with high moisture/resin content. In addition to the above there tapes which are extremely in-consistent in quality as coating of Glue is very erratic resulting in tapes not sticking where it should have.

ii) While peeling veneers of High moisture/resin content more than the lower moisture/resin content, due to the fact that for face veneers we are generally peeling .38 mm thick veneers and the species of logs peeled have this property. Due to the above the basic reason to use petitioner's tapes are overruled as there tapes are not suited for the type of veneer we peel at our factory.

M/s. Supreme Wood Products Pvt. Ltd., Kolkata

i) As Green Veneer Tapes are used on wood (Tree trunks) which are imported from countries like Malaysia, Burma and Indonesia using bad quality tapes would increase the total cubic meter of imports of wood into the country. This would there by increase the

net outflow of Dollars from our country, as the net realizable output of wood would decrease using the petitioners tape.

M/s. Tirupati Veneers Pvt. Ltd., Visakhapatnam

i) Only Wood Veneer producers in India use Green Veneer Tape and the total number of such Veneer units should not be more than 100 including small scale units. This item is specifically used as an edge protection bonding medium, which in turn reduces the wastage of veneer during the time of peeling, drying, handling and processing to make it into plywood.

ii) At a time the economy of India is being open to meet challenges, such protection would only harm the Indian Industry as they would continue relying on small scale production with outdated technology, thereby resulting in low quality and products.

M/s. Binikom Products Pvt. Ltd., Kolkata

i) Veneers are not more than 0.35mm thick. As such the edge banding is must and it should be perfect upto the destination of our buyers situated all India basis who are basically plywood manufacturing units.

ii) Green Veneer Tape should be of good quality and consistency in quality otherwise our made produce veneers will not stand in its strength and being our timber logs are very costly which is imported as per Government's OGL system the cost of production will be very high and impracticable to the market.

iii) So far our knowledge goes except the petitioners there is none in India who is making good quality Veneer Tape and our survival is only on Taiwan supply and if we do not get the same ultimately all industry of our type will finish to zero in long term and there will be wastage of valuable foreign exchange for not utilizing the imported timber logs to its best uses and best realisation.

M/s. Aakash Veneers Pvt. Ltd., Mumbai

i) Green Veneer Tape is applied on Wood Veneers which is a very precious world resource & it is the duty of every individual to reduce the wastage of such a precious resource. GVT is used exactly for the same purpose as it reduces the wastage of wood which would have otherwise taken place.

ii) One roll of GVT costing Approximately Rs.****- per roll is what would be needed to be put on approximately 1 cubic meter of logs and the landed cost of which would be approximately Rs.****- per cubic meter. (Logs are generally imported as felling of trees had been banned due to Supreme Court Order).

iii) A Grade Veneers are converted to "C" or "D" Grade Veneers there by fetching a very low price if at all they could be sold.

iv) Full sheets of face veneers gets converted to odd size veneers (phali) there by reducing the net realizable value almost ½ . These too cannot be sold without hand repairing them to convert to full sheets.

v) Imported Tapes are not identical or similar in nature to the ones manufactured in India. Imported Green Veneer Tapes have been made to suit the average quality of Veneers we produce in India, whereas the Indian Tapes do not comply with the same.

vi) India is probably the only country where a thickness of .38 mm veneer is derived after peeling the logs, Normally the accepted thickness would be .65 to .70 mm thick. These thicknesses are only achieved due to low quantum of peeling & intensive labour usage.

vii) The woods we peel generally contain adequate or excess amount of moisture (Resin) in them & this type of Logs constitute for almost 95% of all the veneers we peel.

M/s. Gunny Commercial Co., Kolkata

i) Unlike general circular slitting (as in Fax paper rolls) these require extremely high precision Indian or preferably imported slitting machines as the general sold dimensions of cut rolls are of 1,000 meters to 1,500 meters in length & a very small width ranging from 8 mm to 13.5 mm. It may also be noted that the nature of the end use of the product is such that it can only be used in roll form & in large lengths and cannot be used without proper spooling. Thus the process of manufacturing is only completed in India by us and is not sold in the same form as is imported.

ii) That the comparison of costs could be made only for like products, i.e., gummed paper Vs gummed paper of the local manufacturer and not with the price of tapes on square meter basis. That since we are also involved in the process of slitting, spooling and repacking, the entire activity falls within the definition of 'manufacturers' in terms of the export and import policy 2002-2007.

iii) The Green Veneer Tape supplied by our Tainese supplier are distinctly different and as a result the prices are bound to be cheaper than the Indian counterparts.

iv) The product in question is not a mass consumption item as it is a very specific item for very specific in use.

v) The sales are of the second category and the consumers are fully aware of the nature of the product and reasons for their prices.

THE ALL INDIA ASSOCIATION OF INDUSTRIES

i) There are about 24 units in India, which use green veneer tape as a production aid in the manufacture of veneer sheets from logs and also for edge bending while peeling the logs. Most of the units are in the small scale sector and are floated as proprietary companies. Most of them are finding it hard to make both ends meet.

ii) Some of the units which are our members say green veneer is imported from Taiwan it is not a mass consumption item as total imports is less than Rs. 1 crore without duty for the last three consecutive years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-02. Currently it has a total duty of 67 per cent including countervailing duty of 16%.

iii) Green Veneer Tape user members are aggrieved that the only local producer in the country based in Mumbai has approached for levying anti dumping duty on green veneer tape. If this anti dumping duty is imposed it would become economically unviable for units to use veneer tape and many of them have no alternative but to close down the unit.

M/s. Kitply Industries Ltd., Kolkata

i) The petitioner, has only recently started manufacturing Green Veneer Tape and we feel that their experience in this line is negligible as their product specification does not categorize them with like imported product in question because of the below reasons:-

ii) The thickness of veneer we peel in India requires that GVT is applied on veneers to thickness of .38 to .45 mm thick with a moisture content in the veneer ranging from adequate to high moisture. The petitioner's tapes are meant to be stuck on veneers with low moisture content to adequate moisture content.

iii) The quality of tapes of Waco is extremely inconsistent. That is, the coating of glue differs from one consignment to the other, causing extremely high wastage of Wood Veneer which is a very precious resource of the world and should not be wasted.

M/s. Century Ply boards (India) Limited, Kolkata

i) Green Veneer Tape is an item used only by the Wood Veneer Industry and as per our information the total CIF value of import would be less than Rs. 1 crore only annually into the country.

ii) Green Veneer Tape is only used on Wet veneers and it helps in edge binding or veneers to reduce wastage of wood due to handling.

iii) The cost of tapes cannot make up for the cost of wood which would be damaged in the case of inconsistent quality of tapes being used. The seller of tapes can in no way gives us compensation to make up for the losses incurred due to his tapes. Further, the process of using tapes is such that quality of tapes cannot be checked immediately on application or by physical examinations.

iv) Green Veneer Tapes of the petitioner (Waterproof Corp. Pvt. Ltd.) is not suitable for use by us and is different to the imported tapes due to the following:-

a. Imported tapes by large stick on veneers with adequate to high moisture content whereas the petitioner's tapes are manufactured so as to stick on veneers of low to adequate moisture content in veneers. The prior makes up to almost 95% of the veneers we produce where as the latter would account for only 60% of the veneers produced. India is probably the only country where a thickness of .38 veneer is obtained after peeling of logs from trees. Normally the accepted thickness is .65 to .70 mm all over the world. This requires special quality tapes which the petitioners is unable to supply.

b. The quality of these imported tapes are consistent in nature while the ones manufactured by the petitioner are inconsistent there by resulting in high amounts of glue in certain areas/tapes and low in some.

c. The quality of GVT by the petitioner are extremely inconsistent in nature and differs from Roll to Rolls due to un-even coating of glue. As GVT is used on veneers which itself varies in quality, (being a product of nature) it becomes a very potent factor of destabilizing our production.

d. The Grade "A" veneers sheets are converted to Grade "C" or "D" veneer sheets as a result, fetching a very low price, for our end product we manufacture. This also increases the amount of wastage of veneers & reduces the basic utility of the said tapes. The net realizable value of full sheets of face veneer is reduced by almost 50% as they get converted to odd size veneers (Phali) & have to be further hand repaired to be converted to full sheets before they can be made salable. Many sheets also become irreparable and thus are totally wasted and have to be burnt in the boiler for fire.

e. The petitioner had been a monopoly for over 9 years supplying Dry Veneer Tapes (DVT) to our industry and this was their main line of activity. DVT is also a gummed paper tape but is applied by hand, to repair dried veneers where as GVT is applied automatically on wet Veneer to prevent wastages.

3. **EXPORTER'S VIEWS**

The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9 A (1) (C). M/s. Chieur Jiuey Enterprise Company Ltd., Taiwan have responded to the exporters questionnaire.

M/s. Chiuer Jiueu Enterprise Co., Ltd.,

i) There are significant differences between the products exported to India and the products sold in other markets. The product exported to India is a coated paper from which Green Veneer Tape 'B' grade is manufactured by the customer.

ii) The grade 'A' tapes are cut rolls in width and length as desired by the customer. The tapes are packaged in bundles and wrapped with plastic and paper. These are put in cardboard boxes and strapped with tapes. No such processing is carried out on the gummed papers exported to India. The manufacturers in India do the processes of cutting, slitting and packing. Coated paper in jumbo rolls requires no packing and is simply loaded in the container. As a consequence the product exported to India is cheaper since the process of cutting, slitting and packing are not carried thereon.

iii) There is a much higher wastage in the process of slitting of B grade paper. This is for the reason that at the time of coating the paper with the glue, heating is carried out for a shorter duration. As a result, small patches of glue, which are not fully dried, remain. At the time of high speed slitting in India, there is a vertical or horizontal tear in the paper, as it cannot wind at those points. The quantum of wastage in slitting for B grade is therefore much higher. Consequently, when the cut tapes are sold, the cost of the wastage is on our account whereas in the case of jumbo rolls the wastage is to the cost of the Indian customer. Moreover, as the coating machine in the case of B grade rolls, are running at higher speeds, the total heat used to dry is much less, reducing the time taken for coating, and the labour time, electricity and fixed costs.

iv) Circular unwinding, Slitting and Rewinding of coated paper rolls to desired width and length on plastic core with the help of very expensive and precision slitting machines. Cutting is a precision oriented job and dedicated labour is needed for the same, labours used in slitting machines cannot be used for any other machine during the time of slitting.

v) The tape manufactured from the coated paper exported to India is of 'B' Grade as is indicated in the export documents. The main difference between grade 'A' and grade 'B' is in the quality of raw material, which is used. With regard to 'A' grade material the quantum and quality of glue is greater. The base paper on which coating is carried out in the case of 'A' grade is 55 GSM whereas that used for 'B' grade is 65 GSM. The 'A' grade 55 GSM paper is of a value of about US$ ****/MT whereas the paper used for 'B' grade paper of 65 GSM is of US$ **** to US$ ****/MT. The raw material cost, therefore, for the 'A' grade is much higher than for 'B' goods due to the increased cost of glue and paper.

vi) The marketing and selling cost in the case of exports to India and to other markets is quite different. In the case of India, all the sales are made to only one customer, who (after manufacture of tapes) in turn sells to his customer base of over 150 small face veneer producers in India. This customer has to incur all marketing and selling expenses since it is he who makes and sells tapes to the actual end users that are the Face Veneer manufacturers. Whereas all our sales in other markets are of Cut & Finished & ready to use tapes and the majority of the sales are made to actual face veneer manufacturers with regard to those sales, we incur all marketing and selling costs.

vii) The Indian market accepts 'B' grade tapes. Face Veneers in India (Face Veneers are very thin sheets of freshly peeled wood on which Green Veneer Tapes are applied) are peeled with extremely labour intensive, low productive rotary peeling machines capable of producing extremely thin sheets of veneers of a width of 0.38mm, this is the general accepted thickness in India where Tapes are applied. In other parts of the world where we sell tapes Grade A tapes, Face Veneer are produced having a thickness ranging between 0.70 mm to 0.85mm. In view of the lower width of veneers in India, the tapes sold to suit Indian Veneer Manufacturers in India do not have to be of a very High Quality as it has to withstand the tear of a much lower weight of wood in comparison to other countries. The grade 'A' tapes stick on all types of veneers, that is veneers having very low resin/moisture content such as of African Origin "Okume" quality wood as well as adequate to high resin Keriung Type Wood. As againt this, the grade 'B' tapes are suitable to stick on adequate to High resin Keriung type wood only which are generally used in India.

viii) The sales in the export market in India are against Letters of Credit. The sales in home market are made on credit basis of 2 to 3 months. Cash discounts are offered to customers who make advance or immediate payment for the material. The sales to India are on a CIF basis. In the domestic market also the sales price is inclusive of freight and insurance charges. Export sales to other countries are also made on a CIF basis.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

i) The foregoing submissions made by the exporter and the petitioner, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

ii) The exporters willing to give price undertaking shall be considered, on request by the Authority in accordance with the Rules Supra.

iii) The Exporters/manufacturers who have not exported to India during the period of investigation may apply for review as new exporters under Rule 22 of Anti Dumping Rules supra as and when they export to India.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

i) The product under consideration is Green Veneer Tape. It is also known as gummed paper reels mainly imported in jumbo rolls. It is used as a production aid in the manufacture of veneer sheets from logs and also used for edge bending while peeling the logs. This item is specifically used as an edge protection-bonding medium, which in turn reduces the wastage of veneer during the time of peeling, drying, handling and processing to make it into plywood. It has been imported under Chapter 48 of Customs Tariff Act. The classification sub-headings 48.11, 4811.4900, 48.23, and 4823.1900 suggest description as Green Veneer Tape. The classification is, however indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

ii) The importers/exporters have described the product as coated paper of 'B' Grade, which have been exported to India. They have further stated that the manufacturers in India convert 'B' Grade coated paper into Green Veneer Tape 'B' Grade after further processing of slitting, cutting, packaging etc. The exporter has claimed that Grade 'B' Coated papers are different from Grade 'A' Green Veneer Tapes, which are not sold in the domestic market as well as exported to third countries. The main difference in these two grades is the quality of raw materials and as such the raw material cost for Grade 'A' is much higher than the Grade 'B' due to the variation in cost of glue and paper. On account of the higher cost of paper and glue, additional labour intensive processes of cutting, sorting and finishing, higher packaging costs and higher marketing costs, the total cost of 'A' Grade tapes is much higher than that of 'B' Grade coated paper exported to India. The petitioner has not furnished any information/evidence regarding the Grade 'B' Veneer Tape, rather they manufacture only one type of Green Veneer Tapes which used as the production aid in manufacture of Veneer sheets from wooden logs and also used for edge binding while peeling the logs.

iii) The petitioner has argued that the jumbo rolls imported from Taiwan are not different from the product Green Veneer Tapes manufactured and sold by them. The importers are bringing the finished products in jumbo rolls of about 1.08 meters width and 3000 meters length and thereafter cut them into sizes as per the requirement of the customers. The core manufacturing area is the production of jumbo rolls. This virtually entails the whole investment in production from sizing and cutting of paper into required rolls, making of glue as per requirement, coating of glue on the base paper, drying of glue on base paper and finally cutting, slitting and customer bound packaging. The importers do cut the imported jumbo rolls into sizes as per customer's requirement whereas the petitioner also manufactures the jumbo roll and then cuts and sales the same as per customer requirement, having the similar manufacturing process and technology.

iv) The petitioner stressed that there is no gradation of Green Veneer Tape and they have failed to produce evidence of such a Grade 'B' in any other part of the World. The

petitioner further argued that the exporter would not be able to cover the cost of base paper in the international market at the price the subject goods are exported into India. The Authority examined the submissions of the exporter and notes that the exporter themselves has clarified that the Grade 'B' variety of Green Veneer Tapes are only exported to India, it is neither sold in their domestic market nor exported to third countries.

v) As regards coated paper Grade 'B', the Authority has considered the view expressed by the petitioner, exporters and importers/users. Rule 2 (d) of Anti Dumping Rules defines the like article as,

"like article means an article which is identical or like in all respect to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

vi) As regards the arguments of exporter and importer that the imported product is not identical or alike in all respect to the article under investigation, the Authority notes that the petitioner has stated interaila that there is a great amount of substitutability between the two grades of Green Veneer Tapes and there is a close resemblance in terms of Characteristics of domestically produced Green Veneer Tape and imported Grade 'B' coated paper which is used by the plywood industries. On the basis of evidence furnished both by the petitioner and importer/exporter, the Authority is constrained to establish that Green Veneer Tape produced by the domestic industry is not identical or alike in all respects to Grade 'B' coated paper, the product under consideration.

vii) From the documentary evidence provided by the domestic industry regarding the sales of Green Veneer Tape to the user industry, which have been verified during the course of verification of costing and sales, it was established from their sales and excise register that plywood industry is using the domestically manufactured Green Veneer Tapes which in turn also use imported Green Veneer Tapes as claimed by them. The user industry has also confirmed in their submissions that imported Green Veneer Tapes are used in the plywood industry for an edge protection-bonding medium, which in turn reduces the wastage of veneer during the time of peeling, drying, handling and processing to make it into plywood. The Authority notes that the one form has been imported and consumed whereas the other form was being consumed establish technical and commercial substitution of the two grades.

viii) Therefore there is no significant difference in Green Veneer Tape produced by the Indian industry and Green Veneer Tape exported from Chinese Taipei. Green Veneer Tape produced by the Indian industry and imported from Chinese Taipei, are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Green Veneer Tape

produced by the petitioner and imported from Chinese Taipei should be treated as like articles in accordance with the anti dumping Rules. The technology adopted by the Indian industry is comparable with the technology adopted by the manufacturers of Green Veneer Tape from Chinese Taipei.

ix) The Authority in view of the submissions made by the petitioner and other interested parties thereby keeping in view of substitutability and interchangbely by the same consumers of the subject goods, exported from subject country and those produced by the domestic industry, considers the subject goods exported and domestically produced subject goods as like article as per Rule 2 (d) for the purpose of preliminary determination. The Authority keeping in view of petitioners, importers, exporters, the aspect relating to like article, dumping, injury, causal link may be examined in greater detail for the purpose of final finding.

Therefore, the Authority notes that the investigation covers all grades of Green Veneer Tapes as product under consideration.

2. DOMESTIC INDUSTRY

i) The petition has been filed by M/s. Waterproof Corporation Pvt.. Ltd., on behalf of the domestic industry. The petitioner claims that the petitioner company represents 100% of the production of the subject goods under consideration. As per the evidence available petitioner has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per rule 5 of Anti Dumping Rules.

ii) The Authority also notes that the petitioner constitutes more than 50% of the total domestic production and therefore have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b)

3. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The normal value and ex-factory export price determination is illustrated below.

M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd., Chinese Taipei

Normal Value

i) The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9 A (1) (C). M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd., responded to the questionnaire giving information relating to exports. The exporter has stated that there is neither domestic sales of Grade 'B' coated paper in economic size nor exports of this grade of coated paper to third countries. The cost of production of both Grades 'A' Green Veneer Tape and Grade 'B' Coated papers have been furnished in Appendix 8,9, & 10. As there is no domestic sales of like product in their home market or export to the third countries, the normal value shall be determined on the basis of cost of production information made available in exporters questionnaire for Grade 'B' Coated papers. On examination of the cost of production of coated papers, it is found grossly deficient as the cost of labour and utilities have been shown as more than 3000% difference between Grade 'A' and Grade 'B' for Green Veneer Tape which have not been substantiated with the supporting documents. The depreciation cost for these two grades have been shown as more than 1000% whereas, company has been established in 1994 and the figures are not been substantiated with argument and supporting documents.

ii) The trading and profit and loss accounts, balance sheets for the current year and previous two financial years showing the determination of gross profit, details of selling and administrative and other costs and net profits are required to be submitted..

iii) In Appendix 7, in addition to detailed information for the Grade 'B' coated paper for the POI along with the preceding two years, it is desired to furnish information for the other products also.

iv) As the company is manufacturing other products in addition to the products being investigated, detail explanation with basis of allocation of cost like utilities and all

elements of overheads needs to be furnished. These expenses should be verifiable from the Profit and Loss Account quarter wise information relating to cost of production for comparison with the quarter wise sales information.

v) In view of the inadequate response filed by the exporter, the Authority has decided not to take into account information furnished by the exporter and relied on the facts available as per Rule 6 (8) Supra. Therefore the information available on the estimated cost of production in the country of origin plus selling, administrative and general expenses and a reasonable amount of profit after making reasonable adjustments has been taken as the basis for working out normal value of the subject goods in Chinese Taipei.

vi) The normal value therefore referenced as ****$/Sq. Mt. for M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd., for the preliminary determination.

Export Price

The Authority has considered the information regarding the export price furnished by the exporter in Appendix 2. The exporter has claimed adjustment on account of packing, overseas freight, overseas insurance, and shipping charges which have been allowed. The Authority has accepted these adjustments for the purpose of preliminary determination for calculating the net export price at ex-factory level from Chinese Taipei to India for M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd., subject to further examination and verification.

The ex-factory export price is referenced as ****Rs/Sq.mt. for the purpose of preliminary determination pending final determination.

Other Exporters/Producers

A. NORMAL VALUE

i) None of the exporters/producers from Chinese Taipei except M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd has cooperated and responded to the exporters questionnaire. The Authority in view of non-cooperation has been constrained to construct the normal value for all other producers/exporters of Chinese Taipei on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) of anti dumping Rules.

ii) Based on the above, the Authority has determined the constructed Normal Value for Chinese Taipei as ****Rs./Sq.mt. for the purpose of preliminary determination pending final determination.

B. **EXPORT PRICE**

i) The Authority notes that the export price has been determined on the basis of the data from DGCI&S Kolkata . The adjustment on account of packing, overseas freight, overseas insurance, and shipping charges, which have been allowed to arrive at net, export price for non-cooperative exporters/producers from Chinese Taipei.

ii) The ex-factory export price is referenced as ****Rs/Sq.m. for the purpose of preliminary determination pending final determination.

4. **DUMPING- Comparision of Normal Value & Export Price**

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has compared the weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price in Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/producers in the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Country	Normal Value (NV) (Rs/Sq. M)	Export Price (EP) Rs/Sq. M	Dumping Margin as % of EP
M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co. Ltd Chinese Taipei	****	****	164%
All other exporter/producers of Chinese Taipei	****	****	171%

5. **INJURY AND CAUSAL LINK**

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

ii) For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, we may consider such indices having a bearing on the state of the

industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

iii) The Authority examined the following economic parameters in the case of domestic producers,

Changes in Market Share held by the Indian Producers.

i) The table below shows the market share of domestic industry. Market share of domestic industry in comparison to the total demand in the country have also decreased from 32.08% in 2000-2001 to 27.74% during the POI.

Year	Domestic Sales (Sq. M)	Total Demand (Sq. M)	% share
1999-00	****	****	23.71
2000-01	****	****	32.08%
2001-02	****	****	27.72%

Volume and market share of dumped imports

i) Regarding the quantum of imports, the Authority has considered the statistics of imports of subject goods published by the Director General of Commercial Intelligence and statistics (DGCI&S), Kolkata. Therefore the Authority has relied upon the DGCI&S data for analyzing the import trend from the subject country and injury caused to the domestic industry on this account.

ii) It is seen from the following table that the imports from the subject country during the POI in comparison to the previous year have increased substantially from –12.16% in 2000-2001 to 203.13% during the POI. It is evident that during the POI (April 2001 – March 2002) 2941920 Sq. Mt. of Green Veneer Tape were exported by Chinese Taipei compared to 1448280 Sq.Mt during 2000-2001. The imports of Green Veneer Tape have increased significantly in absolute terms. The Authority notes that there is a significant increase in imports of Green Veneer Tape from the subject country.

Year	Imports from Subject Country (Sq. M)	% Change
1999-2000	1648800	
2000-2001	1448280	-12.16%
2001-2002	2941920	203.13%

Market Share & Capacity Utilization

i) It may be seen that the production of the domestic industry in quantitative terms went up during the POI over the preceding finance year but it may be observed from the following table that despite increased production in quantitative terms there has been a more than 63% of production capacity remained unutilized during the POI. The production has increased during the POI due to the increase in demand.. The domestic

sale is showing a increasing trend due to the increase in demand in 2001-2002 compared to 2000-2001, but the industry had to sale their product at unremunerative price to compete with the dumped import.

Year	Capacity Utilization (%)	Domestic Industry Market Share (%)	Unutilized Production capacity (%)
1999-00	18.04	23.71	81.96
2000-01	21.10	32.08	78.90
2001-02	36.74	27.74	63.26

Year	Demand	Sales
1999-2000	100	100
2000-2001	134	90
2001-2002	220	174

(Indexed figure)

ii) The volume of sales of the domestic industry went up during the POI over the preceding financial year. It is also observed that the industry is not realizing the price in the POI as against the price in 2000-2001. Because of the pressure on prices from imports from subject country, the domestic industry is not able to realize a fair price or a reasonable rate of return. The selling price has decreased in the investigation period as compared to the previous year. The Authority notes that loss per unit has also decreased in the investigation period and still dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realise a reasonable price.

Year	Sales Volume (Sq.M)	Sales Value (Rs.)	Unit Price (Rs./M)
1999-2000	****	****	****
2000-2001	****	****	****
2001-2002	****	****	****

Market Share in Demand

Share in demand	1999-2000	2000-2001	POI
Market Share of petitioner (%)	23.71	32.08	27.74
Share of dumped imports (%)	76.29	67.92	72.26

i) From the above table it is evident that the share of the petitioner in demand has decreased from 32.08% to 27.74% during the POI whereas share of dumped imports from Chinese Taipei has increased from 67.92% in 2000-2001 to 72.26% in the POI. The Authority has analyzed and examined the import statistics and sales figure of the petitioner and noted that the dumped imports have displaced the demand of the domestic industry at the same time had to compete with the low priced imports of Green Veneer Tape from Taiwan to hold the market.

Inventories

i) The inventories of the domestic industry has increased from 41730 Sq. M at the end of March 2001 to 64748 Sq. M. as on 31.03.2002, which is very high in relation to production of the petitioner. The Authority notes that the under utilization of the plant along with the inventory available with the petitioner, demonstrates that the dumped imports are causing injury to the domestic industry.

Employment

There has been no increase in the employment of the petitioner during the previous two years.

Wages

The petitioner has claimed that wages are determined according to the provisions of Labour Laws as such wages cannot be changed according to the financial health of the petitioner companies. The Authority has noted the position.

Profitability

Year	Sales Value (Rs. in laks)	Cost of Sales (in lakhs)	Profit/Unit	Profitability
1999-2000	****	****	****	****
2000-2001	****	****	****	****
2001-2002	****	****	****	****

The losses per unit during 2001-2002 have marginally decreased due to reduction in costs of raw materials, and increase in capacity utilization. The cost of production of the domestic industry has declined in the POI whereas selling price has also declined. The domestic industry is incurring the loss due to the fact that the domestic industry is forced to reduce the selling price below its cost of production to hold on market due to dumped imports from subject country. The domestic industry has suffered material injury on account of depressed selling price resulting in non-recovery of cost of production and thereby suffering financial losses.

Return on Investment (Capital Employed)

i) As enumerated above the industry is operating at a loss and thus the domestic industry has not been able to earn any return on its investments. Petitioner has claimed that the rate of return on investment during POI for the product under consideration is negative.

ii) The Authority notes that the loss per unit has also decreased in the investigation period, still, the dumped imports have prevented the domestic industry to recover or minimize its financial loss and improve the financial health of the industry.

Price Undercutting, Price Suppression/ Depression and Price underselling

i) In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree.

ii) The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject country during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price undercutting by the dumped imports. The landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization. The Authority further notes that the domestic industry was compelled to lower its prices as to hold on its market share to compete with the dumped imports from subject country.

iii) The Authority has examined the claim of the domestic industry regarding the suffering on account of the losses from the sale of Green Veneer Tape. The Authority notes that the price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry.

iv) The petitioner claims that the imports were having significantly suppressing/depressing effect on the domestic industry. The Authority notes that the imports were having significantly suppressing/depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports. The selling price of the domestic industry is below the cost of production that results into a suppressing/depression effect.

v) Thus examination of the available evidence shows that the domestic industry has suffered injury on its sales of subject goods during POI. The Authority has determined the extent of price undercutting during the POI and holds that domestic industry has suffered significant price undercutting and price underselling during the POI due to dumped imports from subject countries.

Growth

It is submitted and noted that due to the negative returns in the industry and continued dumped imports, the domestic industry is in a difficult situation to grow as there is surplus available capacity to meet the domestic demand.

Threat of Injury

As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and;

a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,

d) inventories of the article being investigated.

The Authority has examined the aspects of threat of injury and noted that the imports are severely undercutting the prices in the domestic market, which have been analyzed in details on prepages. Interested parties have not provided sufficient evidence regarding surplus capacity and evidence of imports. Therefore the Authority notes that there is not sufficient evidence to establish threat of injury as claimed by the petitioner.

Conclusions on Injury:-

From the foregoing, the following conclusions are made by the Authority regarding injury suffered by the domestic industry.

a) Imports from the subject country have increased significantly in absolute terms.

b) Imports from the subject country have increased in relation to the demand of Green Veneer Tape in India.

c) Imports are significantly undercutting the selling price of domestic industry

d) The profitability of the domestic industry has been severely eroded resulting into financial losses.

e) The domestic industry is suffering from price suppression/depression, as landed price of the subject goods from the subject country is less than the cost of production of domestic industry.

f) The domestic industry is suffering from price underselling as landed price of the subject goods are below the non injurious price or fair selling price of the domestic industry.

g) The domestic industry has suffered material injury.
h) There is no clear evidence of threat of injury .

Causal Link

1. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure 2 of the anti dumping Rules states :

i) "the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concern, shall include and evolution of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual or potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments".

ii) The Authority holds that the increasing quantum of imports from subject country resulted in material injury to the domestic industry. Import of Grade B coated paper (Green Veneer Tape) has resulted in curtailment of sales contract of the domestic industry and also displaced the demand of domestically produced Green Veneer Tape. The dumped imports in effect started undercutting the prices of the domestic product compelling the domestic industry to sale below its fair selling price. Resultantly, the domestic industry was not in a position to realise its fair selling price and therefore incurred losses. Therefore the material injury was caused by the dumped imports from the subject country to the domestic industry. The injury to the domestic industry is a consequence of dumped imports of like article from subject country.

iii) The domestic industry is facing injury due to dumping of Grade B coated paper (Green Veneer Tape) by exporters from subject country. The increase in imports from the subject country has had a direct impact on the prices. Resultantly, while the import volumes increased on the one hand, the domestic industry has been forced to lower its prices on the other hand. There is no contraction in demand, the demand has rather increased. Further, there are no other factors such as trade restrictive practice or development in technology, which could have caused material injury to the domestic industry.

6. **INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

i) The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

ii) The Authority also recognizes that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products,

however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

iii) The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

iv) The Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioners regarding fair selling price, rather the Authority deputed a team for on-the-spot investigation and verification of costing and manufacturing process of Green Veneer Tape and worked out in detail the fair selling price of Green Veneer Tape in India for the Domestic Industry.

v) Arguments have been raised by consumers that the imposition of anti dumping measures would result in less competition and higher prices for consumers of Green Veneer Tape and may harm the domestic plywood industry. The Authority notes that price advantages based on unfair practices are unjustifiable and may in the longer term are harmful even to the interest of consumer.

7. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

D. CONCLUSIONS:

After considering the foregoing, The Authority notes that:

i) Green Veneer Tape (Grade B coated paper) has been exported to India from the subject country below its normal value,

ii) The domestic industry has suffered material injury,

iii) The material injury has been caused to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country,

iv) Therefore, the Authority considers necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Green Veneer Tape(Grade B coated paper) from subject country in order to remove the injury to the domestic industry,

v) In view of the above the Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the non-injurious price of the petitioner determined for the period of investigation,

vi) Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duty be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Green Veneer Tape (Grade B coated paper) falling under chapter 48 and sub headings no. 48.11, 4811.4900, 48.23, 4823.1900 under Custom Tariff Act 1975, originating in or exported from Chinese Taipei. The anti dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Column No. 3 of the following table and the landed value of imports,

1	2	3
Country/ Source	**Exporters/Producers**	**Amount (Rs/sq.m)**
Chinese Taipei	**M/s. Chiuer Jiuey Enterprise Co., Ltd.,**	**7.46**
Chinese Taipei	**All exporters/producers**	**7.46**

E. FURTHER PROCEDURE

The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;

b. Exporters, Importers, Petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

c. The Authority would conduct verifications to the extent deemed necessary;

d. The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;

e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054